उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार (उत्तराखण्ड)

विवरणिका व नियमावली

विद्यावारिधि (पीएच.डी.)

2022–23

0

अनुक्रमणिका

विवरण	पृष्ठ संख्या
प्रमुख तिथियाँ	02
विश्वविद्यालय–एक परिचय	03
उपलब्ध सुविधायें	04
विद्यावारिधि (पीएच.डी.) उपाधि के लिये पंजीकरण की अर्हता एवं नियम	05
प्रवेश–परीक्षा योजना	06
शोध पर्यवेक्षक का निर्धारण	07
पाठ्यक्रम संबंधी कार्य (कोर्स वर्क) श्रेय, अपेक्षाएं, संख्या, अवधि, पाठ्यविवरण, कार्य पूर्ण करने के न्यूनतम मापदण्ड आदि	08
शोध–केन्द्र	08
उपाधि आदि अवार्ड करने के लिए मूल्यांकन तथा निर्धारण पद्धतियां, न्यूनतम मानदण्ड/क्रेडिट आदि	09
उपस्थिति	10
पीएच.डी. पाठ्यक्रम (अंशकालिक)	11
आरक्षण	13
साक्षात्कार हेतु प्रपत्रों की सूची	14
विषयों के कोड तथा उपलब्ध सीटों की संख्या	14
पीएच.डी. प्रवेश परीक्षा के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम	15
संकाय सदस्यों की सूची	32
विभिन्न शुल्क	33
परीक्षा आवेदन पत्र	36

प्रमुख तिथियाँ

1.	आवेदन उपलब्ध होने की तिथि	15.03.2023
2.	आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि	15.04.2023
3.	पीएच.डी. प्रवेश परीक्षा की तिथि	30.04.2023 प्रातः 11:00 बजे से 01:00
4.	प्रवेश परीक्षा केन्द्र	उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार
5.	विद्यावारिधि (पीएच.डी.) प्रवेश परीक्षा उत्तर कुंजिका प्रदर्शित करने की तिथि	01.05.2023
6.	आपत्ति दर्ज करने की तिथि	02.05.2023 से 16.05.2023 तक
7.	आपत्ति निवारण तिथि	17.05.2023 से 22.05.2023 तक
8.	पीएच.डी. प्रवेश परीक्षा उत्तर कुंजिका (Final answer Key) उपलब्ध	24.05.2023
9.	विद्यावारिधि (पीएच.डी.) प्रवेश परीक्षाफल घोषित करने की तिथि	31.05.2023
10.	चयनित विद्यार्थियों के विभागीय साक्षात्कार की तिथि पृथक् से घोषित की जाएगी	

नोट :

- आवश्यकतानुसार तिथियों में परिवर्तन किया जा सकता है।
- आर.डी.सी. (R.D.C.) बैठक की तिथि के सम्बन्ध में शोधार्थी को पृथक् से अवगत कराया जायेगा।
- अभ्यर्थी को प्रवेश परीक्षा के लिये प्रवेश पत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइटwww.usvv.ac.inसे डाउनलोड करना होगा।

आवेदन पत्र/परीक्षा शुल्क

सामान्य श्रेणी और अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु : रूपये 1000/–
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु : रूपये 500/–

शुल्क भुगतान

आवेदन पत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइटwww.usvv.ac.in से डाउनलोड करके किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी डिमाण्ड ड्राफ्ट जो **"वित्त नियन्त्रक, उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय"** के पक्ष में हरिद्वार में देय हो, को संलग्न कर रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट/व्यक्गित रूप से/ स्वयं द्वारा जमा कराया जा सकता है। अभ्यर्थी डिमाण्ड ड्राफ्ट के पीछे अपना नाम, पता तथा विषय व विषय कोड अनिवार्य रूप से अंकित करें। आवेदन पत्र/परीक्षा शुल्क किसी भी दशा में न तो वापस किया जायेगा और न ही उसे किसी दूसरी उपाधि के लिये स्वीकृत माना जायेगा।

आवेदन पत्र के साथ हाई स्कूल, इण्टरमीडियट, स्नातक,समकक्ष, स्नातकोत्तर/एम.फिल्., जे.आर.एफ./नेट/सेट के प्रमाण–पत्रों की ही प्रतियाँ संलग्न करेंगे।

आवेदन पत्र प्रेषित करने का पता :–

कुलसचिव
उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग बी.एच.ई.एल.मोड
बहादराबाद हरिद्वार–249402 (उत्तराखण्ड)

नोट :

1. परीक्षा परिणाम की घोषणा विश्वविद्यालय वेबसाइट www.usvv.ac.in एवं सूचनापट्ट पर प्रकाशित की जायेगी।
2. यह शोध प्रवेश परीक्षा (RET) इस विश्वविद्यालय में केवल वर्तमान सत्र के लिये ही मान्य होगी। जो अभ्यर्थी RET उत्तीर्ण करेंगे, उन्हीं को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जायेगा।
3. अभ्यर्थी का चयन उसके शोध क्षेत्र विषय पर विचार–विमर्श तथा साक्षात्कार के आधार पर ही किया जायेगा। कोई भी अभ्यर्थी यदि अपने साक्षात्कार और शोध क्षेत्र विषय के अनुरूप उपयुक्त नहीं पाया जाता है, तो स्थान को रिक्त रखा जायेगा।

विश्वविद्यालय–एक परिचय

स्थापना

संस्कृत विश्व की सबसे प्राचीन एवं समृद्ध भाषाओं में से एक है। संस्कृत प्राचीन ज्ञान विज्ञान का भण्डार एवं हमारी भारतीय परम्परा का प्रतीक है। संस्कृत और प्राच्य विद्याओं के प्रचार–प्रसार तथा उन्हें आधुनिक संदर्भों के साथ जोड़ने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या 486/विधायी एवं संसदीय कार्य/2005 दिनांक 21 अप्रैल, 2005 द्वारा उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की गयी।

विश्वविद्यालय का परिसर हरिद्वार शहर से लगभग 15 किलोमीटर दूर बहादराबाद क्षेत्र में स्थित है, जिसका प्राकृतिक सौन्दर्यमय वातावरण शिक्षकों और छात्रों को सदैव आत्मबोध और सीखने के लिये प्रेरित करता है।

वर्तमान समय की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय द्वारा संस्कृत और प्राच्य विद्याओं से सम्बन्धित ऐसे पाठ्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है जो रोजगार से भी जुड़े हुए हैं। इसको ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय में प्राच्य तथा आधुनिक विद्याओं से सम्बन्धित विभिन्न उपाधि पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं।

उद्देश्य

विश्वविद्यालय की स्थापना का उद्देश्य संस्कृत तथा प्राच्य विद्याओं का प्रचार–प्रसार, विकास और प्रोत्साहन है। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय के प्रमुख उद्देश्य निम्नवत् हैं :–

(i) प्राच्य–पाश्चात्य ज्ञान–विज्ञान का समन्वय।

(ii) प्राच्य भाषाओं एवं तत्सम्बन्धी विभिन्न विषयों के अध्ययन–अध्यापन परम्परा का निर्वहन।

(iii) शिक्षण–प्रशिक्षण तथा पाण्डुलिपि विज्ञान का संरक्षण।

(iv) पालि और प्राच्य भाषाओं का संरक्षण तथा संवर्धन।

(v) संस्कृत की सभी विधाओं में अनुसंधान, प्रोत्साहन और संयोजन करना।

(vi) व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के माध्यम से संस्कृत के विकास व प्रचार–प्रसार के लिए प्रयास।

(vii) प्रदेश के विविध भागों में परिसरों की स्थापना, महाविद्यालयों का अधिग्रहण और संचालन।

(viii) संस्कृत के संवर्धन के लिए प्रदेश सरकार के राज्यीय अधिकरण के रूप में, उसकी नीतियों और योजनाओं का क्रियान्वयन।

(ix) शैक्षणिक क्षेत्रों में अनुदेशन और प्रशिक्षण का प्रबन्ध करना।

(x) शोध ज्ञान के प्रचार और विकास के लिए समुचित मार्गदर्शन तथा व्यवस्था करना।

(xi) भारत सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सहयोग से सृजनपीठों, शोधपीठों तथा अध्ययनपीठों की स्थापना।

(xii)भारतीय संस्कृति और साहित्य के साथ अन्य संस्कृतियों का तुलनात्मक तथा समीक्षात्मक अध्ययन और अनुसंधान।

(xiii) छात्र–छात्राओं के उत्थान में शैक्षणिक गतिविधियों और सांस्कृतिक पक्षों का निष्पादन।

(xiv) राष्ट्रीय–अन्तर्राष्ट्रीय संगोष्ठी, कार्यशाला, पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों के माध्यम से विश्वविद्यालय के छात्रों, शिक्षकों और जिज्ञासुओं का आधुनिक ज्ञान–विज्ञान के साथ प्रशिक्षण।

(xv) संस्कृत साहित्य का व्यापक अध्ययन और अनुसंधान।

परिकल्पना (Vision)

(i) आगामी पांच वर्ष में राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विशिष्ट पहचान वाले विश्वविद्यालय के रूप में विकसित होना। साथ ही ज्ञान आधारित समाज (नॉलेज सोसायटी) के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाना।

(ii) आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ (आई.क्यू.ए.सी.) का सशक्तिकरण।

(iii) राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर में बौद्धिक/योग/सांस्कृतिक/क्रीड़ा प्रतियोगिताओं में स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार प्रदान करना।

(iv) मौलिक शोध ग्रन्थों और शोध पत्रिका का सम्पादन तथा प्रकाशन।

(v) विद्यार्थियों की सुविधा के लिए छात्रावास व्यवस्था, आधुनिकीकरण

संचालन संरचना

विश्वविद्यालय का संचालन अधोलिखित रूप से किया जाता है :

(i) कुलाधिपति (ii) कार्यपरिषद् (iii) विद्यापरिषद् (iv) वित्त समिति (v) परीक्षा समिति (vi) प्रवेश समिति

अन्य राज्य स्तरीय विश्वविद्यालयों के समान उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय के भी कुलाध्यक्ष/कुलाधिपति माननीय राज्यपाल हैं। कार्यपरिषद् विश्वविद्यालय की सर्वश्रेष्ठ नीतिगत निर्णयों के क्रियान्वयन करने हेतु अधिकार सम्पन्न परिषद् है। विश्वविद्यालय के कुलपति इस परिषद के पदेन अध्यक्ष होते है। शिक्षा, शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुसंधान आदि के मानकों का निर्धारण विद्यापरिषद् द्वारा होता है। विश्वविद्यालयीय वित्तीय गतिविधियों का संचालन, वार्षिक आय–व्यय का निर्धारण वित्त समिति द्वारा किया जाता है और परीक्षा समिति परीक्षाओं का आयोजन कराती है।

पदाधिकारी

कुलाधिपति	:	लेफ्टिनेंट जनरल (से.नि.) श्री गुरमीत सिंह महामहिम राज्यपाल, उत्तराखण्ड
कुलपति	:	प्रो. दिनेशचन्द्र शास्त्री
कुलसचिव	:	श्री गिरीश कुमार अवस्थी
वित्त नियन्त्रक	:	श्री लखेन्द्र गौथियाल

उपलब्ध सुविधायें

केन्द्रीय पुस्कालय

केन्द्रीय पुस्तकालय का संचालन विश्वविद्यालय की स्थापना के समय से ही किया जा रहा है। पुस्तकालय में वेद, वेदांग, संस्कृत साहित्य, संस्कृत व्याकरण, दर्शन, शिक्षाशास्त्र, प्राच्य विद्या, काव्यशास्त्र, भाषा विज्ञान, पत्रकारिता, पर्यावरण विज्ञान, इतिहास, हिन्दी, अंग्रेजी आदि से सम्बन्धित अनेक पुस्तकों का विशाल संग्रह है। पुस्तकालय में विभिन्न शैक्षिक और अनुसंधान की आवश्यकता को पूर्ण करने वाली शोध पत्रिकाओं और शोधग्रन्थों की व्यवस्था है।

राष्ट्रीय सेवा योजना (एन.एस.एस.)

विद्यार्थियों के सम्पूर्ण विकास व सहायता के लिये विश्वविद्यालय द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना का संचालन किया जा रहा है। इसका संचालन स्नातक तथा शिक्षाशास्त्री (बी.एड.) स्तर पर राज्य सरकार के सहयोग से किया जाता है।

कम्प्यूटर प्रयोगशाला

छात्रों के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय द्वारा कम्प्यूटर प्रयोगशाला का संचालन किया जा रहा है, जिसमें आधुनिक उपयोग के विभिन्न सॉफ्टवेयर का संग्रह है तथा इसमें इन्टरनेट की सुविधा उपलब्ध है।

परामर्श एवं निर्देशन प्रकोष्ठ

विश्वविद्यालय द्वारा परामर्श एवं निर्देशन प्रकोष्ठ की स्थापना की गयी है। यह प्रकोष्ठ निरन्तर विद्यार्थियों को साक्षात्कार एवं रोजगार से सम्बन्धित दिशा–निर्देशों को समय–समय पर उपलब्ध कराता है।

शोध छात्रवृत्ति

विश्वविद्यालय द्वारा शोध छात्रवृत्ति यू.जी.सी. के दिशा–निर्देश के आधार पर प्रदान की जायेगी। शोधकर्ता राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, दिल्ली अथवा अन्य संस्थानों की छात्रवृत्तियों के लिये भी आवेदन कर सकते है।

शोध पत्रिका

विश्वविद्यालय द्वारा 'शोधप्रज्ञा' नाम से अर्द्धवार्षिक शोध पत्रिका प्रकाशित की जाती है। इस शोध पत्रिका में प्राच्य एवं आधुनिक ज्ञान के समन्वय पर केन्द्रित शोध पत्रों को प्रकाशित किया जाता है। यह मूल्यांकित शोध पत्रिका है।

विद्यावारिधि (पीएच.डी.) उपाधि के लिये पंजीकरण की अर्हता एवं नियम

- विद्यावारिधि (पीएच.डी.)पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु ऐसे अभ्यर्थी पात्र होंगे जिनके पास उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय अथवा विधि द्वारा स्थापित और यू.जी.सी. से मान्यता प्राप्त किसी संस्था/विश्वविद्यालय/मानित विश्वविद्यालय से सम्बद्ध विषय में आचार्य अथवा समकक्ष स्नातकोत्तर उपाधि अथवा एक व्यावसायिक उपाधि होगी जिसे समकक्ष सांविधिक निकाय द्वारा स्नातकोत्तर उपाधि के समतुल्य घोषित किया गया हो, जिसमें अभ्यर्थी को कम से कम कुल 55% अंक अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के 7 बिंदु मानक पर 'बी' ग्रेड प्राप्त हुए हों (अथवा जहां कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली अपनाई जाती है वहां बिंदु मानक पर समकक्ष ग्रेड) अथवा ऐसे प्रत्यायित विदेशी शैक्षिक संस्थान से समकक्ष उपाधि प्राप्त की हो, जो कि किसी आकलन एवं प्रत्यायन एजेन्सी द्वारा प्रत्यायित है जो कि शैक्षिक संस्थानों की गुणवत्ता एवं मानकों को सुनिश्चित करने एवं उनके आकलन, प्रत्यायन हेतु ऐसे किसी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा अथवा ऐसे एक प्राधिकरण के अन्तर्गत स्वीकृत एवं प्रत्यायित है जो कि उस देश में किसी कानून के अन्तर्गत स्थापित अथवा निगमित है।
  एम.फिल. पाठ्यक्रम को कम से कम कुल 55% अंकों के साथ उत्तीर्ण करने वाले अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के 7 बिंदु मानक पर 'बी' ग्रेड प्राप्त कर सफलतापूर्वक एम.फिल. उपाधि प्राप्त करने वाले (अथवा जहां कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली अपनाई जाती है वहां बिंदु मानक पर समतुल्य ग्रेड) अभ्यर्थी शोध कार्य करने हेतु पात्र होंगे, जिससे वे उसी संस्थान में समेकित पाठ्यक्रम के अन्तर्गत पीएच.डी. उपाधि अर्जित कर सकें। उत्तराखण्ड निवासी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर लाभान्वित श्रेणी) /पृथक् रूप से निःशक्त से सम्बद्ध हैं अथवा समय–समय पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए 55% से 50% अंकों तक अर्थात् अंकों में 5% की छूट अथवा ग्रेड में समतुल्य छूट प्रदान की जा सकती है।
- विश्वविद्यालय के ऐसे छात्र/छात्रा, जिसके एम.फिल. शोध प्रबंध का मूल्यांकन किया गया है तथा मौखिक साक्षात्कार लंबित है, उसे पीएच.डी. पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जा सकता है।
- अभ्यर्थी जिनके पास भारतीय संस्थान की एम.फिल. के समकक्ष ऐसी उपाधि है जो किसी विदेशी शैक्षिक संस्थान से जो कि किसी आकलन एवं प्रत्यायन एजेन्सी द्वारा प्रत्यायित है जो कि शैक्षिक संस्थानों की गुणवत्ता एवं मानकों को सुनिश्चित करने एवं उनके आकलन, प्रत्यायन हेतु ऐसे किसी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा अथवा ऐसे एक प्राधिकरण के अन्तर्गत स्वीकृत एवं प्रत्यायित है जो कि उस देश में किसी कानून के अन्तर्गत स्थापित अथवा निगमित है, ऐसे अभ्यर्थी पीएच.डी में प्रवेश हेतु पात्र होंगे।

पाठ्यक्रम की अवधि

- पीएच.डी. पाठ्यक्रम की अवधि कम से कम तीन वर्ष की होगी जिसमें प्री–पीएच.डी. पाठ्यक्रम से सम्बन्धित अवधि भी सम्मिलित होगी तथा अधिकतम अवधि छह वर्ष होगी।
- उपर्युक्त सीमा के अतिरिक्त समय विस्तारण को उन सापेक्ष धाराओं द्वारा अभिशासित किया जाएगा जो कि विश्वविद्यालय की सांविधि/अध्यादेश में विनिर्धारित हैं।
- महिला अभ्यर्थी तथा निशक्त व्यक्ति (जिनकी निशक्तता 40 प्रतिशत से अधिक हो) उन्हें पीएच.डी. के लिए अधिकतम दो वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त, महिला अभ्यर्थियों को पीएच.डी. की समग्र अवधि में एक बार 240 दिनों तक का मातृत्व अवकाश/शिशु देखभाल अवकाश प्रदान किया जा सकता है।

प्रवेश हेतु प्रक्रिया एवं विभागीय शोध समिति

- यह विश्वविद्यालय पीएच.डी. अभ्यर्थियों को द्विचरणीय प्रक्रिया (लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार) के माध्यम से प्रवेश देगा।
- उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय के स्तर पर संचालित पीएच.डी. पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों को प्रवेश उपलब्ध कराया जायेगा। **जिन विद्यार्थियों ने यूजीसी–नेट (जेआरएफ सहित)/यूजीसी–सीएसआईआर नेट (जेआरएफ**

सहित)/स्लैट/गैट/शिक्षक अध्येतावृत्ति अथवा एम.फिल. पाठ्यक्रम उत्तीर्ण कर लिया है उन्हें भी प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होना आवश्यक होगा।

- सीटों का आरक्षण उत्तराखण्ड राज्य सरकार के नियमों के अनुरूप होगा।
- प्रवेश परीक्षा, अर्हक परीक्षा होगी, जिसमें 50% अर्हता अंक प्राप्त करना अनिवार्य है प्रवेश परीक्षा में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग (असम्पन्न वर्ग) /पृथक् रूप से निःशक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये अंकों में 5% की छूट (50% के स्थान पर 45%) प्रदान की जायेगी प्रवेश परीक्षा के पाठ्यविवरण में 50% प्रश्न शोध–पद्धति के तथा 50% प्रश्न आवेदित विशिष्ट विषय के पूछे जाएंगे। प्रश्नपत्र में वस्तुनिष्ठ/बहुविकल्पीय तथा विवरणात्मक/दीर्घ उत्तरीय प्रश्न सम्मिलित होंगे लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के प्राप्तांकों का पृथक्–पृथक् वरीयता क्रम बनाया जायेगा तदनन्तर मा. कुलपति द्वारा गठित सक्षम समिति के द्वारा दोनों प्राप्तांकों का योग कर नियमानुसार अन्तिम वरीयता सूची निर्गत की जायेगी।
- जिस समय अभ्यर्थियों के लिए उनके शोध रुचि/क्षेत्र पर कोई चर्चा एक विधिवत् गठित विभागीय शोध समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण माध्यम से की गई हो तो विश्वविद्यालय द्वारा एक साक्षात्कार/मौखिक साक्षात्कार संचालित किया जाएगा अन्तिम चयन हेतु प्रवेश परीक्षा के लिये 70% तथा साक्षात्कार/मौखिक परीक्षा में प्रदर्शन को 30% का महत्त्व दिया जायेगा।
- विद्यावारिधि लिखित प्रवेश परीक्षा में वे छात्र–छात्राएं भी सम्मिलित हो सकेंगे जिन्होंने स्नातकोत्तर की अन्तिम वर्ष की परीक्षा दी है। ऐसे छात्र–छात्राओं के लिए साक्षात्कार की तिथि के पूर्व अपनी अर्हता परीक्षा (स्नातकोत्तर में वांछित अंक प्रतिशत के साथ) का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा लिखित प्रवेश–परीक्षा उत्तीर्ण होने पर भी प्रवेश संभव नहीं हो सकेगा। लिखित प्रवेश–परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले आवेदक उसी सत्र में पंजीकरण करा सकेंगे। प्रवेश पाने में असफल छात्र–छात्राएं पुनः प्रवेशार्थ अगले सत्र में नियमानुसार प्रवेश परीक्षा दे सकेंगे।

परीक्षाफल की घोषणा–

लिखित प्रवेश–परीक्षा का अन्तिम परिणाम विश्वविद्यालय की वेबसाइट एवं सूचनापट्ट पर लगाया जायेगा।

प्रवेश–परीक्षा योजना–

विद्यावारिधि लिखित प्रवेश परीक्षा का एक प्रश्न–पत्र होगा, जो दो खण्डों में विभक्त होगा।

प्रश्नपत्र के **प्रथम खण्ड (क)** में शोध प्रविधि से संबंधित प्रश्न शामिल होंगे। **इस पत्र का पाठ्यक्रम यू.जी.सी. नेट के प्रथम पत्र के अनुरूप होगा।**

प्रश्न पत्र के **द्वितीय खण्ड (ख)** शोधार्थी के स्नातकोत्तर विषय से सम्बन्धित होगा, इसके लिए आधार आचार्य/स्नातकोत्तर परीक्षा के पाठ्यग्रन्थ निर्धारित होंगे। सम्बन्धित पाठ्यक्रम विवरणिका में उपलब्ध है।

- परम्परागत विषयों में प्रश्न पत्र की भाषा संस्कृत एवं आधुनिक विषयों में हिन्दी होगी। अंग्रेजी तथा पर्यावरण विज्ञान की प्रवेश परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी होगा।
- शिकायतों हेतु 15 दिनों का समय दिया जायेगा, जिस पर प्रवेश परीक्षा समिति विचार करेगी। उसकी संस्तुति के आधार पर लिया गया निर्णय अन्तिम होगा।

विभागीय शोध समिति–

विद्यावारिधि में चयन के लिए विभाग स्तर पर साक्षात्कार निम्न समिति द्वारा लिया जाएगा, यही समिति विभागीय शोध समिति कहलाएगी। इसी समिति द्वारा प्री–पीएच.डी. कोर्स के बाद शोध–विषय का निर्धारण भी किया जाएगा।

विभागाध्यक्ष	अध्यक्ष
सम्बन्धित विभाग के सभी आचार्य एवं सह आचार्य	सदस्य
सम्बन्धित विभाग के वे सभी सहायक आचार्य,जो शोध–निर्देशक बनने की अर्हता रखते हैं।	सदस्य

कुलपति द्वारा मनोनीत एक बाह्य विषय–विशेषज्ञ — सदस्य

उपर्युक्त समिति द्वारा अभ्यर्थी की योग्यता से सम्बन्धित प्रमाण पत्रों की जांच भी की जाएगी।

- विश्वविद्यालय अपनी वेबसाइट पर पीएच.डी. के लिए पंजीकृत सभी छात्रों की सूची का रख–रखाव वार्षिक आधार पर करेगा। सूची में पंजीकृत अभ्यर्थी का नाम, उसके शोध का विषय, उसके पर्यवेक्षक/सह–पर्यवेक्षक/निर्देशक/सह–निर्देशक नामांकन/पंजीकरण की तिथि आदि सम्मिलित होंगे।

शोध पर्यवेक्षक का निर्धारण

शोध पर्यवेक्षक, सह–पर्यवेक्षक बनने हेतु पात्रता मानदण्ड, प्रति पर्यवेक्षक/निर्देशक अनुमेय पीएच.डी. शोधार्थियों की संख्या आदि।

- उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय का कोई भी नियमित रूप से नियुक्त आचार्य जिसने किसी संदर्भित पत्रिका में कम से कम पांच शोध प्रकाशन प्रकाशित किए हैं और विश्वविद्यालय का कोई नियमित सह–सहायक आचार्य जो पीएच.डी. उपाधि धारक हो तथा जिसके संदर्भित पत्रिकाओं में कम से कम दो शोध प्रकाशन प्रकाशित किए गए हों उसे शोध पर्यवेक्षक निर्देशक के रूप में मान्यता प्रदान की जा सकती है।
  बशर्ते कि उन क्षेत्रों विधाओं में जहां कोई भी संदर्भित पत्रिका नहीं हों अथवा केवल सीमित संख्या में संदर्भित पत्रिका हो, तो संस्थान किसी व्यक्ति को शोध पर्यवेक्षक निर्देशक के रूप में मान्यता प्रदान करने की उपर्युक्त शर्तों में लिखित रूप से कारण दर्ज कर छूट प्रदान कर सकता है।
- केवल विश्वविद्यालय/सम्बद्ध महाविद्यालय के पूर्णकालिक शिक्षक ही पर्यवेक्षक/निर्देशक के रूप में कार्य कर सकते हैं। बाह्य पर्यवेक्षकों/निर्देशकों को अनुमति नहीं है। तथापि, विश्वविद्यालय के अन्य विभागों से अथवा अन्य सम्बद्ध संस्थाओं से अंतर–विषयी क्षेत्रों में सह–पर्यवेक्षकों/सह–निर्देशकों को शोध परामर्श समिति के अनुमोदन से अनुमति प्रदान की जा सकती है। एतदर्थ शोध छात्र को विषय स्वीकृति के एक वर्ष के भीतर शोध निर्देशक के माध्यम से प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा।
- किसी चयनित शोधार्थी के लिए शोध पर्यवेक्षक/निर्देशक के निर्धारण के संबंध में संबंधित विभाग द्वारा प्रति शोध पर्यवेक्षक/निर्देशक विद्वानों की संख्या, पर्यवेक्षकों की विशेषज्ञता तथा विद्वानों की शोध रुचि, जैसा कि उनके द्वारा साक्षात्कार/मौखिक साक्षात्कार के समय इंगित किया गया हो, जिसके आधार पर निर्णय लिया जाएगा।
- ऐसे शोध हेतु शीर्षक जो अंतर विषयी स्वरूप के हैं, जहां संबंधित विभाग यह अनुभव करता है कि विभाग में उपलब्ध विशेषज्ञता की बाहर से अनुपूर्ति की जानी चाहिए, उस स्थिति में विभाग स्वयं अपने ही विभाग से शोध पर्यवेक्षक/निर्देशक की नियुक्ति करेगा, जिसे शोध पर्यवेक्षक/निर्देशक के रूप में जाना जाएगा और विभाग/संकाय/महाविद्यालय /संस्थान के बाहर से एक सह–पर्यवेक्षक/सह–निर्देशक को ऐसी निबंधन व शर्तों पर सह–पर्यवेक्षक/सह–निर्देशक नियुक्त किया जाएगा जैसा कि सहमति प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय /महाविद्यालयों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएगा और जिन पर आपस में सहमति बनेगी।
- किसी एक समय के दौरान कोई भी आचार्य के पद पर नियुक्त पदधारी, शोध पर्यवेक्षक/निर्देशक, सह पर्यवेक्षक/सह–निर्देशक के रूप में तीन (03) एम.फिल. तथा आठ (08) पीएच.डी. शोधार्थियों से अधिक का मार्गदर्शन प्रदान नहीं कर सकता है। कोई भी सह आचार्य, शोध पर्यवेक्षक/निर्देशक के रूप में अधिकतम दो (02) एम.फिल. तथा छह (06) पीएच.डी. शोधार्थियों को मार्गदर्शन प्रदान कर सकता है तथा शोध पर्यवेक्षक/निर्देशक के रूप में सहायक आचार्य अधिकतम एक (01) एम.फिल. और चार (04) पीएच.डी. शोधार्थियों को मार्गदर्शन प्रदान कर सकता है।
- विवाह अथवा अन्यथा किसी कारण से किसी एम.फिल./पीएच.डी. महिला शोधार्थी के अन्यत्र चले जाने पर, शोध आंकड़ों को ऐसे विश्वविद्यालय को अंतरित करने की अनुमति होगी जहां शोधार्थी पुनः जाना चाहे बशर्ते कि इन विनियमों की अन्य सभी निबंधन और शर्तों का शब्दशः पालन किया जाए तथा शोध कार्य किसी मूल संस्थान/पर्यवेक्षक/निर्देशक द्वारा किसी वित्तपोषण एजेंसी से प्राप्त न किया गया हो। तथापि, शोधार्थी मूल संस्थान के मार्गदर्शन तथा संस्थान को पूर्व में किए गए शोध कार्य के अंकों के लिए उसे पूर्ण श्रेय देगा।

- शोध निर्देशक/सह निर्देशक एवं स्वीकृत शोध रूपरेखा/प्रस्ताव में परिवर्तन प्रारम्भिक 06 माह में ही संभव हो सकेगा। कुलपति के अनुमोदन से विभागीय शोध समिति एतदर्थ स्वीकृति प्रदान करेगी।

पाठ्यक्रम संबंधी कार्य (कोर्स वर्क) श्रेय, अपेक्षाएं, संख्या, अवधि, पाठ्यविवरण, कार्य पूर्ण करने के न्यूनतम मापदण्ड आदि

- पीएच.डी. पाठ्यक्रम संबंधी कार्य के लिए न्यूनतम 08 क्रेडिट तथा अधिकतम 16 क्रेडिट दिए जाएंगे।
- पाठ्यक्रम संबंधी कार्य को पीएच.डी. की तैयारी के लिए पूर्वापेक्षा माना जाएगा। शोध पद्धति पर एक या एक से अधिक पाठ्यक्रम को कम से कम चार क्रेडिट दिए जाएंगे, जिसमें ऐसे क्षेत्र जैसे परिमाणात्मक पद्धति, कम्प्यूटर अनुप्रयोग, शोध संबंधी आचार तथा संगत क्षेत्र में प्रकाशित शोध की समीक्षा, प्रशिक्षण, क्षेत्र कार्य आदि शामिल हैं। अन्य पाठ्यक्रम उन्नत स्तर के पाठ्यक्रम होंगे जो छात्रों को पीएच.डी. के लिए तैयार करेंगे।
- पीएच.डी. कार्यक्रमों में प्रवेश प्राप्त सभी अभ्यर्थियों को प्रारंभिक प्रथम अथवा दो सेमेस्टरों के दौरान विभाग द्वारा विहित पाठ्यक्रम संबंधी कार्य को पूर्ण करना अपक्षित होगा।
- पहले ही एम.फिल. उपाधि धारक अभ्यर्थी जिन्हें पीएच.डी. पाठ्यक्रम में दाखिला प्राप्त हो गया है, अथवा जिन्होंने पहले ही एम.फिल. में पाठ्यक्रम संबंधी कार्य पूर्ण कर लिया है तथा जिन्हें पीएच.डी. समेकित पाठ्यक्रम में प्रवेश की अनुमति प्रदान की गई है, उन्हें विभाग द्वारा पीएच.डी. पाठ्यक्रम संबंधी कार्य से छूट प्रदान की जा सकती है। अन्य सभी अभ्यर्थी जिन्हें पीएच.डी. पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया गया है उन्हें विभाग द्वारा विहित पीएच.डी. पाठ्यक्रम संबंधी कार्य को पूर्ण करना अपेक्षित होगा।
- शोध पद्धति पाठ्यक्रमों सहित पाठ्यक्रम संबंधी कार्य में ग्रेड को शोध सलाहकार समिति द्वारा समेकित मूल्यांकन किए जाने के बाद अंतिम रूप दिया जाएगा तथा विश्वविद्यालय /महाविद्यालय को अंतिम ग्रेड के बारे में जानकारी प्रदान की जाएगी।
- किसी पीएच.डी. शोधार्थी को पाठ्यक्रम संबंधी कार्य में न्यूनतम 55% अंक अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 7 बिंदु मानक पर इसके समकक्ष ग्रेड (अथवा जहां भी ग्रेडिंग प्रणाली अपनाई जाती है समकक्ष ग्रेड/सीजीपीए) प्राप्त करना होगा ताकि वह पाठ्यक्रम को जारी रखने के लिए पात्र हो तथा उसे शोध प्रबंध/थीसिस जमा करने होंगे।

प्री–पीएच.डी. के बाद पंजीकरण की प्रक्रिया–

- प्री–पीएच.डी. में सफल शोधार्थियों को विश्वविद्यालय द्वारा दी गयी तिथि के अनुसार निर्धारित पत्र में अपनी योग्यता एवं अनुसंधेय विषयों का उल्लेख करते हुए अपना आवेदन–पत्र संबद्ध विभाग में विभागाध्यक्ष के पास जमा कराना होगा।
- आवेदन पत्र के साथ विभागाध्यक्ष को शोध निर्देशक (यदि, कोई निर्धारित किया गया हो) की संस्तुति सहित रूपरेखा की दस प्रतियां (जिसमें अनुसन्धान के अध्ययन का अभिप्राय हो और स्पष्ट रूप से यह प्रतिपादित हो कि प्रस्तुत शोध प्रबन्ध में उनका मौलिक योगदान होगा, अज्ञात सामग्री को प्रकाशित किया जायेगा अथवा पहले से ज्ञात तथ्यों की नवीन व्याख्या की जायेगी) जमा करानी होगी।
- इसके बाद विश्वविद्यालय द्वारा घोषित तिथि को विभागीय शोध समिति के समक्ष उपस्थित होना होगा। विभागीय शोध समिति द्वारा ही शोध–विषय का अन्तिम रूप से निर्धारण किया जाएगा।

शोध–केन्द्र

सामान्यतः विश्वविद्यालय के विभाग ही शोध–केन्द्र होंगे, लेकिन विश्वविद्यालय शोध उपाधि समिति (URDC) विशेष परिस्थितियों में विश्वविद्यालय से सम्बद्ध अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों/ महाविद्यालयों को भी शोध–केन्द्र के रूप में मान्यता प्रदान करेगी बशर्ते उस संस्था में स्नातकोत्तर विभाग हो। किन्तु कोर्स वर्क की कक्षाएं विश्वविद्यालय परिसर में ही आयोजित की जाएंगी।

शोध सलाहकार समिति तथा इसके प्रकार्य

- प्रत्येक पीएच.डी. शोधार्थी के लिए इसी प्रयोजनार्थ एक शोध सलाहकार समिति गठित की जायेगी। कुलपति के निर्देशानुसार इस समिति में सम्बन्धित संकायाध्यक्ष अथवा विभागाध्यक्ष अध्यक्ष होगा सम्बन्धित विभागाध्यक्ष (यदि संकायाध्यक्ष समिति का अध्यक्ष हो तो), सम्बन्धित विभाग के सभी शिक्षक तथा कुलपति द्वारा नामित एक विषय–विशेषज्ञ सदस्य होंगे शोधार्थी का शोध पर्यवेक्षक/निर्देशक इस समिति का समन्वयकर्ता होगा। समन्वयक द्वारा शोध से सम्बन्धित आवश्यक विवरण उचित माध्यम से समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे इस समिति के द्वारा प्रत्येक 06 माह में शोधछात्र के प्रगति–विवरण की समीक्षा की जायेगी इस समिति के उत्तरदायित्व निम्नवत् होंगे –
- शोध प्रस्तावों की समीक्षा करना तथा शोध के शीर्षक को अंतिम रूप देना।
- शोधार्थी को अध्ययन ढांचे तथा पद्धति को विकसित करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करना तथा उसके द्वारा पूर्ण किए जाने वाले पाठ्यक्रमों की पहचान कराना।
- शोधार्थी के शोध कार्य की आवधिक समीक्षा करना तथा प्रगति में सहायता प्रदान करना।
- शोधार्थी छह माह में एक बार शोध सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित होकर मूल्यांकन तथा आगे का मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए अपने कार्य की प्रगति के संबंध में एक प्रस्तुति देगा। शोध सलाहकार समिति द्वारा छह मासिक प्रगति रिपोर्ट विश्वविद्यालय को तथा इसकी एक प्रति शोधार्थी को भेजी जाएगी।
- यदि शोधार्थी की प्रगति असंतोषजनक हो तो, शोध सलाहकार समिति इसके कारण दर्ज करेगी तथा उपचारात्मक उपाय सुझाएगी। यदि शोधार्थी इन उपचारात्मक उपायों को कार्यान्वित करने में असफल बना रहता है तो शोध सलाहकार समिति शोधार्थी के पंजीकरण को रद्द करने के विशिष्ट कारण दर्ज कर विश्वविद्यालय को इसकी सिफारिश कर सकती है।

उपाधि आदि अवार्ड करने के लिए मूल्यांकन तथा निर्धारण पद्धतियां, न्यूनतम मानदण्ड/क्रेडिट आदि

- पाठ्यक्रम संबंधी कार्य को सफलतापूर्वक पूर्ण करने के उपरान्त विहित अंक/ग्रेड प्राप्त करने पर, जैसा भी मामला हो, पीएच.डी. शोधार्थी द्वारा शोध कार्य आरंभ करना अपेक्षित होगा तथा इन विनियमों के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा यथा विनिर्दिष्ट निर्धारित समय में एक रूपरेखा – शोध प्रबंध/थीसिस जमा करना होगा।
- शोध प्रबंध/थीसिस को जमा करने से पूर्व, शोधार्थी विश्वविद्यालय की शोध सलाहकार समिति के समक्ष एक प्रस्तुति देगा, जिसमें सभी संकाय सदस्यगण तथा अन्य शोधार्थी उपस्थित होंगे। उनसे प्राप्त हुई प्रतिपुष्टि तथा टिप्पणियों को शोध सलाहकार समिति के परामर्श से मसौदा/रूपरेखा – शोध प्रबंध/थीसिस में उपयुक्त रूप से शामिल किया जाए।
- मूल्यांकन किए जाने हेतु शोध प्रबंध/थीसिस जमा करने से पूर्व पीएच.डी. शोधार्थी किसी शोध पत्रिका में न्यूनतम 02 शोधपत्र प्रकाशित करेगा, जिनमें से 01 शोध पत्र अनिवार्य रूप संदर्भित पत्रिका में प्रकाशित कराएगा तथा अपने शोध प्रबन्ध/थीसिस प्रस्तुत करने से पूर्व किसी विश्वविद्यालय/यू.जी.सी./आई.सी.पी.आर./अन्य समकक्ष राजकीय संस्थानों द्वारा प्रायोजित सम्मेलनों/संगोष्ठियों में न्यूनतम दो शोधपत्र प्रस्तुत करेगा तथा इनके संबंध में प्रस्तुतीकरण प्रमाणपत्र और/अथवा पुनर्मुद्रणों के रूप में साक्ष्य प्रस्तुत करेगा।
- विश्वविद्यालय की विद्वत् परिषद् (अथवा इसके समकक्ष निकाय), सुविकसित सॉफ्टवेयर तथा उपकरणों के विकास द्वारा साहित्यिक चोरी तथा शिक्षा संबंधी छल–कपट का पता लगायेगी। शोध प्रबंध/थीसिस को मूल्यांकन हेतु जमा करने से पूर्व शोधार्थी से एक वचनबद्धता प्राप्त की जाएगी तथा शोध पर्यवेक्षक/निर्देशक द्वारा कार्य की मौलिकता के अनुप्रमाणन स्वरूप एक प्रमाणपत्र जमा करना होगा, जिसमें यह आश्वासन दिया जाएगा कि किसी भी प्रकार की साहित्यिक चोरी नहीं की गई है तथा यह कार्य उसी संस्थान में जहां यह शोध कार्य किया गया था अथवा किसी अन्य संस्थान में किसी अन्य उपाधि/डिप्लोमा पाठ्यक्रम अवार्ड करने के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया है।
- शोधार्थी द्वारा जमा किए गए पीएच.डी. शोध प्रबंध का मूल्यांकन उसके शोध पर्यवेक्षक/निर्देशक तथा कम से कम दो बाह्य परीक्षकों द्वारा किया जाएगा जो उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय / संबद्ध महाविद्यालय में नियोजित न हों, जिनमें से एक

परीक्षक विदेश से भी हो सकता है, बशर्ते वह विषय–विशेषज्ञ हो। अन्य बातों के साथ–साथ मूल्यांकन रिपोर्ट में की गई आलोचना पर मौखिक परीक्षा, शोध पर्यवेक्षक/निर्देशक तथा दो बाह्य परीक्षकों में से कम से कम एक बाह्य परीक्षक द्वारा की जाएगी, इसमें शोध सलाहकार समिति के सदस्यगण तथा विभाग में संकाय सदस्यगण तथा अन्य शोधार्थी और इस विषय में रुचि लेने वाले अन्य विशेषज्ञ/शोधकर्ता भी भाग ले सकते हैं, किंतु उन्हें प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं होगा।

- शोध प्रबंध/थीसिस के पक्ष में शोधार्थी की सार्वजनिक मौखिक परीक्षा केवल उस स्थिति में ली जाएगी जब शोध प्रबंध/थीसिस पर बाह्य परीक्षकों की मूल्यांकन रिपोर्ट संतोषजनक हो तथा उसमें मौखिक परीक्षा आयोजित करने के लिये विशिष्ट सिफारिश शामिल हो। शोध प्रबंध के मामले में बाह्य परीक्षकों की मूल्यांकन रिपोर्ट अथवा पीएच.डी. शोध प्रबंध के मामले में बाह्य परीक्षक की कोई एक मूल्यांकन रिपोर्ट असंतोषजनक होने पर तथा उसमें मौखिक परीक्षा की सिफारिश नहीं किए जाने पर विश्वविद्यालय परीक्षकों के अनुमोदित पैनल में से किसी अन्य बाह्य परीक्षक को शोध प्रबंध/थीसिस भेजेगा तथा नए परीक्षक की रिपोर्ट संतोषजनक पाए जाने पर ही मौखिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। यदि नए परीक्षक की रिपोर्ट भी असंतोषजनक हो तो, शोध प्रबंध/थीसिस को अस्वीकार कर दिया जाएगा तथा शोधार्थी को उपाधि प्रदान करने के लिए अपात्र घोषित कर दिया जाएगा।
- विश्वविद्यालय उपर्युक्त पद्धति विकसित करेगा ताकि शोध प्रबंध/थीसिस जमा करने की तिथि से छह माह की अवधि के भीतर पीएच.डी. शोध प्रबंध के मूल्यांकन की समग्र प्रक्रिया पूर्ण की जा सके।

दूरस्थ शिक्षा पद्धति/अंशकालिक शिक्षा पद्धति से पीएच.डी. उपाधि का संचालन–

- विश्वविद्यालय में दूरस्थ शिक्षा पद्धति से पीएच.डी. पाठ्यक्रमों का संचालन नहीं किया जायेगा।
- अंशकालिक आधार पर शोधार्थी के रूप में उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों के शिक्षकों एवं अन्य सरकारी संस्थाओं के कार्मिकों को विश्वविद्यालय शोध उपाधि समिति की अनुशंसा पर सांध्यकालीन उपस्थिति की अनुमति प्रदान की जा सकेगी। हालांकि, इन्हें पंजीकरण से पूर्व विभागीय अनापत्ति प्रस्तुत करनी होगी। यह ध्यातव्य है कि साध्यकालीन उपस्थिति शोध निर्देशक द्वारा प्रमाणित स्वीकार्य होगी।

उपस्थिति–

शोधार्थियों हेतु कम से कम 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी। यदि शोधार्थी का शोध केन्द्र विश्वविद्यालय मुख्यालय से बाहर है, तो उसे संबंधित स्थान पर नियमित उपस्थित रहकर कार्य करने का प्रमाण देना होगा। उपस्थिति की अनिवार्यता प्रारम्भिक दो वर्षों के लिए लागू होगी। इन दो वर्षों में प्री–पीएच.डी. पाठ्यक्रम (कोर्सवर्क) की अवधि भी सम्मिलित होगी।

विशेष–

- एक सत्रीय अनिवार्य पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण होने के लिए अधिकतम दो अवसर प्रदान किये जाएंगे।
- दो अवसरों में उत्तीर्ण न होने पर पंजीकरण स्वतः रद्द हो जाएगा।
- एक सत्रीय अनिवार्य पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण होने का प्रमाणपत्र अलग से प्रदान किया जाएगा।
- एक सत्रीय अनिवार्य पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने पर ही शोध कार्य आरंभ करने की अनुमति प्रदान की जाएगी।
- पीएच.डी. में पंजीकृत उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय और संबद्ध महाविद्यालयों के शिक्षकों/कार्मिकों के लिए इस पाठ्यक्रम की कक्षाएं दीर्घ–अवकाश के दिनों में संचालित की जाएंगी। इन सभी के लिए भी एक सत्रीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी अनिवार्य होगी।
- पाठ्यक्रम कार्य (कोर्स–वर्क) के अंतर्गत शोध प्रविधि एवं कंप्यूटर से सम्बन्धित कक्षाएं विश्वविद्यालय स्तर पर एकीकृत रूप से संचालित की जाएंगी। जबकि, विषय से सम्बन्धित कक्षाएं विभागों में संचालित की जाएंगी।
- आवश्यकतानुसार सुसंगत विषयों के समूह बनाकर भी कक्षाएं संचालित की जा सकेंगी।

पीएच.डी. पाठ्यक्रम (अंशकालिक)

विश्वविद्यालय में अंशकालिक पीएच.डी. प्रोग्राम प्रारम्भ किया गया है। अंशकालिक पीएच.डी. प्रोग्राम में अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय की उन सभी अर्हताओं को नियमानुसार पूर्ण करना होगा जो कि पूर्णकालिक पीएच.डी. हेतु निर्धारित की गई हैं। अंशकालिक पीएच.डी. प्रोग्राम के अभ्यर्थी को पूर्णकालिक पीएच.डी. प्रोग्राम के अनुसार ही पीएच.डी. पाठ्यक्रम–कार्य निर्धारित अवधि में गुजरना होगा। अंशकालिक पीएच.डी. प्रोग्राम के लिये विश्वविद्यालय द्वारा वर्तमान में चल रहें पूर्णकालिक पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित सभी नियम–उपनियम यथावत् लागू होंगे जब तक कि अन्यथा उल्लेख न किया गया हो।

अर्हता–

अंशकालिक पीएच.डी. प्रोग्राम हेतु अर्हता के मापदण्ड पूर्णकालिक पीएच.डी. प्रोग्राम के समान ही रहेंगे। इसके अतिरिक्त अंशकालिक पीएच.डी. प्रोग्राम में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थी को सम्बन्धित प्रमाण पत्र निम्न शर्तों के साथ आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करने होंगे:–

1. कोई भी अभ्यर्थी जो किसी भी सरकारी विभाग (केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/स्वायत्त संस्थान) या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/पंजीकृत औद्योगिक संस्थान/कम्पनी का नियमित कर्मचारी है, अंशकालिक पीएच.डी. प्रोग्राम के लिए अर्ह है।
2. अभ्यर्थी को अपने नियोक्ता से 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' लेना आवश्यक है जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए कि :–

(i) अभ्यर्थी संस्थान में नियमित वेतन पर कार्यरत है।

(ii) अभ्यर्थी को अंशकालिक पीएच.डी. प्रोग्राम में अध्ययन करने हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है।

साक्षात्कार/परामर्श के समय विभागीय शोध समिति यह सुनिश्चित करेगी कि अभ्यर्थी उपर्युक्त सभी शर्तें पूर्ण करता हो तथा वह साक्ष्य के रूप में सम्बन्धित मूल प्रमाण पत्रों को जमा करेगा।

अन्य नियम एवं शर्तें–

1. किसी भी विभाग में एक निर्देशक के अन्तर्गत अंशकालिक पीएच.डी. शोधार्थियों की अधिकतम सीट/संख्या निम्न प्रकार होगी :–

प्रोफेसर	–	2
एसोसिएट प्रोफेसर	–	1
असिस्टेंट प्रोफेसर	–	1

इनकी गणना पूर्णकालिक पीएच.डी. शोधार्थियों की अधिकतम संख्या के अन्तर्गत ही की जायेगी।

2. अंशकालिक प्री–पीएच.डी. प्रोग्राम के अन्तर्गत शोध कार्य की अवधि पाठ्यक्रम कार्य सहित न्यूनतम 4 वर्ष तथा अधिकतम 7 वर्ष होगी। यह अवधि पीएच.डी. पाठ्यक्रम–कार्य की कक्षाएँ प्रारम्भ होने की तिथि से मानी जायेगी। उक्त अवधि के अतिरिक्त समय–विस्तारण नहीं किया जा सकेगा।
3. अंशकालिक पीएच.डी. के शोधार्थी को शोधकार्य के दौरान अपने निर्देशक से विश्वविद्यालय के कार्य–दिवसों में प्रत्येक माह में कम से कम एक बार दिशा–निर्देश हेतु उपस्थित होना होगा। उपस्थिति का रिकार्ड शोध निर्देशक द्वारा रखा जायेगा।
4. अंशकालिक पीएच.डी. शोधार्थियों के लिए पीएच.डी. पाठ्यक्रम–कार्य की कक्षाएँ एक सेमेस्टर की अवधि के लिए विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही संचालित होंगी। शोधार्थियों की उक्त कक्षाओं में नियमानुसार न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है।
5. अंशकालिक पीएच.डी. शोधार्थियों को पाठ्यक्रम कार्य के लिए नियोक्ता द्वारा अवकाश की स्वीकृति का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।
6. शोधकार्य के दौरान अभ्यर्थी को संबंधित विभाग में न्यूनतम 240 दिन (पीएच.डी. पाठ्यक्रम कार्य की अवधि सहित) की उपस्थिति सुनिश्चित करनी होगी। ये 240 दिन एक साथ अथवा अलग–अलग समयावधि में पूरे किये जा सकते है। यह

उपस्थिति विश्वविद्यालय में उपस्थित होकर या सह–निर्देशक (यदि कोई हो) के अधीन अन्य संस्थान की भी मानी जा सकती है।

7. शोध प्रबन्ध जमा करते समय शोध निर्देशक के द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि अभ्यर्थी ने पीएच.डी. शोध कार्य में विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित न्यूनतम उपस्थिति दर्ज कराई है। इस हेतु शोधार्थी की उपस्थिति का सत्यापन उपस्थिति पंजिका से किया जायेगा।
8. जो अभ्यर्थी अंशकालिक पीएच.डी. कार्यक्रम में शोधार्थी हैं वे किसी भी प्रकार के दूरस्थ या संस्थागत अन्य पाठ्यक्रम हेतु पंजीकृत नहीं हो सकते हैं। यदि कोई शोधार्थी उक्त नियमों का उल्लंघन करता पाया जाता है तो उसका पंजीकरण निरस्त माना जायेगा।
9. अंशकालिक पीएच.डी. प्रोग्राम के लिए शुल्क विश्वविद्यालय द्वारा इस हेतु निर्धारित शुल्क तालिका के अनुसार देय होगा।
10. विश्वविद्यालय में कार्य कर रहे शिक्षकेत्तर कर्मचारियों (नियमित/तद्र्थ/अंशकालिक/फिक्स मानदेय) कर्मचारियों को विश्वविद्यालय की सेवा में न्यूनतम 2 वर्ष कार्य करने के पश्चात् ही अंशकालिक पीएच.डी. पाठ्यक्रम में प्रवेश की सुविधा प्रदान की जा सकती है।

शोध प्रबन्ध के लिए अपेक्षाएं–

यह एक ऐसा गुण–दोष विवेचित विशिष्ट कार्य होना चाहिए, जिसमें या तो नवीन तथ्यों का अनुसन्धान हो अथवा सैद्धान्तिक तथ्यों की नवीन व्याख्या की गयी हो। उपर्युक्त दोनों बातों में आलोचनात्मक परीक्षण और दृढ़ निर्णय अनुसन्धाता की क्षमता का स्पष्ट सूचक माने जायेंगे।

भाषा और विषय प्रस्तुतीकरण की दृष्टि से भी शोध प्रबन्ध सन्तोषजनक होना चाहिए। भाषा तथा शैली स्पष्ट एवं साहित्यिक होनी चाहिए।

शोध प्रबन्ध का आन्तरिक स्वरूप–

1. प्रथम पृष्ठ (वि.वि. का नाम, लोगो, शोधार्थी एवं निर्देशक का नाम, विभाग का नाम और वर्ष)
2. शोधार्थी का घोषणा पत्र
3. शोधनिर्देशक का प्रमाण पत्र
4. अनुक्रमणिका
5. ग्रन्थ संक्षेप सूची
6. (क) भूमिका/प्रस्तावना
   (ख) आभार
7. अध्याय (क्रमानुसार)
8. उपसंहार/निष्कर्ष
9. सन्दर्भ ग्रन्थ सूची
10. परिशिष्ट (यदि लागू हो)
11. शोध प्रबन्ध के बाह्य कलेवर के पार्श्व में लंबाई में शोध शीर्षक एवं वर्ष का उल्लेख

विश्वविद्यालय शोध उपाधि समिति–

विश्वविद्यालय में शोध विषयक नियमों, नीतियों, मानकों के निर्धारण तथा शोध कार्यों के नियमन एवं उच्च स्तरीय मॉनीटरिंग के लिए विश्वविद्यालय शोध उपाधि समिति का गठन निम्नरूपेण किया जायेगा –

कुलपति	अध्यक्ष
सभी संकायाध्यक्ष	सदस्य
सभी विभाग अध्यक्ष	सदस्य

सभी आचार्य	
विश्वविद्यालय का सबसे वरिष्ठ सह आचार्य (एक–एक वर्ष के लिए चक्रानुक्रम से)	सदस्य
विश्वविद्यालय का सबसे वरिष्ठ सहायक आचार्य (एक–एक वर्ष के लिए चक्रानुक्रम से)	सदस्य
विद्यापरिषद् का एक प्रतिनिधि	सदस्य
कुलपति द्वारा मनोनीत विशेषज्ञ (जिन विषयों में शोध कराया जा रहा है, उन सभी से एक–एक)	सदस्य
अध्यक्ष, शोध विभाग	सदस्य–सचिव

कुलपति की अनुपस्थिति में उनके द्वारा मनोनीत व्यक्ति समिति की बैठक की अध्यक्षता कर सकेगा। समिति की बैठक सामान्यतः प्रति छः माह पर होगी, लेकिन कुलपति को आवश्यकतानुसार बैठक बुलाने का अधिकार होगा।

विशेष निर्देश–

शोधार्थी को प्रत्येक तीन माह पर प्रगति विवरण विभागीय कार्यालय में जमा कराना होगा। निरन्तर तीन त्रैमासिक प्रगति विवरण जमा न करने पर शोध पंजीकरण स्वतः निरस्त माना जाएगा। इसके लिए पृथक से कोई सूचना/पत्राचार नहीं किया जाएगा। यद्यपि, किन्हीं विशेष परिस्थितियों में अथवा स्वास्थ्य सम्बन्धी आपात परिस्थितियों एवं प्रसूति/मातृत्व के दृष्टिगत विश्वविद्यालय शोध उपाधि समिति शोध कार्य जारी रखने की अनुमति प्रदान कर सकेगी। किन्तु ऐसे मामलों में शोधार्थी को नौ माह पूर्ण होने से पूर्व ही लिखित प्रार्थनापत्र देना होगा।

शोध–प्रबन्ध की प्रस्तुति–

परम्परागत विषयों में शोध–प्रबन्ध की भाषा संस्कृत होगी, आधुनिक विषयों में संस्कृत अथवा हिन्दी अथवा अंग्रेजी में भी शोधप्रबन्ध जमा किए जा सकेंगे। विश्वविद्यालय शोध उपाधि समिति विभागीय शोध समिति की संस्तुति तथा शोधार्थी के विशेष अनुरोध पर आधुनिक विषयों में शोधप्रबन्ध की भाषा को परिवर्तित करने की अनुमति दे सकेगी। पंजीकरण के न्यूनतम 36 माह पश्चात् शोधार्थी

शोध–प्रबन्ध के शोध सार की प्रस्तुति (प्रजेंटेशन) के लिए सम्बन्धित विभाग के अध्यक्ष को शोध निर्देशक की संस्तुति सहित प्रार्थना पत्र देगा। 36 माह की अवधि की गणना प्री–पीएच.डी. में प्रवेश के माह से की जाएगी।

इसी क्रम में विभागाध्यक्ष अधिकतम दो सप्ताह के अन्तर्गत निश्चित तिथि को एक संगोष्ठी का आयोजन करेंगे, इस संगोष्ठी में विभागीय शोध समिति द्वारा शोधसार की समीक्षा के पश्चात् शोधप्रबन्ध जमा करने की स्वीकृति प्रदान की जा सकेगी।

शोध प्रबन्ध पूर्ण होने के उपरान्त शोधार्थी को शोध प्रबन्ध एवं संक्षेपिका की पांच टंकित प्रतियां, दो सीडी एवं विभागीय शोध समिति द्वारा स्वीकृत रूपरेखा भी तीन प्रतियों में शोध निर्देशक एवं विभागाध्यक्ष की संस्तुति के साथ परीक्षा विभाग में प्रस्तुत करनी अनिवार्य होंगी। इनमें से शोध प्रबन्ध एवं संक्षेपिका की एक–एक प्रति शोध छात्र तथा निर्देशक को प्रदान की जायेगी एक सीडी शोध विभाग द्वारा एक महीने के भीतर यू.जी.सी. के शोध गंगा पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। शोध प्रबन्ध का कलेवर सामान्यतः 200 पृष्ठों का होना अनिवार्य होगा। उपाधि प्रदान किए जाने के बाद शोधग्रन्थ की एक प्रति पुस्तकालय एवं एक प्रति सम्बन्धित विभाग को प्रदान की जाएगी।

निष्क्रमण प्रमाण पत्र (माइग्रेशन सर्टिफिकेट)

अन्य विश्वविद्यालय के छात्रों को पंजीकरण से पूर्व अथवा अधिकतम तीन माह के भीतर निष्क्रमण प्रमाण पत्र/माइग्रेशन सर्टिफिकेट जमा करना होगा। इसके अभाव में प्रवेश निरस्त हो जायेगा। किन्तु कुलपति इस अवधि को बढ़ाने की अनुमति दे सकते हैं।

आरक्षण

(i) आरक्षण के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नवीनतम प्रावधान लागू होंगे। उत्तराखण्ड निवासी अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग/पृथक रूप से निशक्त श्रेणी के आवेदकों को अर्हता के न्यूनतम अंको में पांच प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

(ii) विश्वविद्यालय परिसर में छात्र–छात्राओं को पीएच.डी. में 20 प्रतिशत परिसरीय तथा 60 प्रतिशत परम्परागत धारा के विद्यार्थियों को वरीयता प्रदान की जायेगी।

साक्षात्कार हेतु प्रपत्रों की सूची

साक्षात्कार/परिचर्चा के समय निम्न प्रपत्रों की सत्यापित छायाप्रति साहित सम्बन्धित विभाग में उपस्थित होना होगा :

- हाईस्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र
- इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र
- स्नातक अथवा समकक्ष परीक्षा के अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र
- स्नातकोत्तर अथवा समकक्ष परीक्षा के अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र
- एम.फिल./सी.एस.आई.आर. (नेट/जे.आर.एफ/सेट उत्तराखण्ड) के प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतिलिपि
- आरक्षण हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र
- विकलांग अभ्यर्थियों के लिए जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त विकलांगता प्रमाण पत्र
- प्रवेश परीक्षा का प्रवेश पत्र
- चरित्र प्रमाण पत्र
- प्रव्रजन प्रमाण (पंजीकरण के समय आवश्यक होगा)

नोट : जाँच हेतु उपरोक्त सभी प्रपत्रोंकी मूल प्रतियाँ प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
***विस्तृत विवरण के लिये सम्बन्धित अध्यादेश की प्रति विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है।**

विषयों के कोड तथा उपलब्ध सीटों की संख्या

विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों/संकायों में उपलब्ध निम्नलिखित विषय में विद्यावारिधि (पीएच.डी.) उपाधि प्रदान की जाएगी :

कोड संख्या	मुख्य विषय	सम्बद्ध विषय	सीटों की संख्या
USU–10	वेद	वेद की सभी शाखायें तथा पौरोहित्य	04
USU–11	व्याकरण	नव्यव्याकरण, प्राच्य व्याकरण	06
USU–12	ज्योतिष	सिद्धान्त ज्योतिष, फलित ज्योतिष, वास्तुशास्त्र	04
USU–13	साहित्य	————	12
USU–14	योग	————	01
USU–15	शिक्षाशास्त्र	शिक्षाशास्त्र	14
USU–16	भाषा एवं आधुनिक ज्ञान–विज्ञान	हिन्दी	06
USU–17	इतिहास	इतिहास	04
USU–18	Environmeatal Science पर्यावरण विज्ञान	Environmental Chemistry, Environmental Agriculture, Wildlife Science, Zoology, Botony, Biotechnology, Remote Sensing, Biophysics, Geology	03
USU–19	अंग्रेजी	अंग्रेजी	04
USU–20	पत्रकारिता	–	–

सीटों की संख्या में परिवर्तन सम्भव है।

पीएच.डी. प्रवेश परीक्षा के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम

वेद (यूएसयू–10)

इकाई	पाठ्यक्रम
इकाई 01	वैदिकवाङ्मयस्येतिहासः।
इकाई 02	संहितानां परिचयः।
इकाई 03	ब्राह्मणग्रन्थानां परिचयः।
इकाई 04	श्रौतस्मार्तसूत्राणां परिचयः।
इकाई 05	आरण्यकानाम् उपनिषदाञ्च परिचयः।
इकाई 06	निरुक्तस्य परिचयः।
इकाई 07	मनुयाज्ञवल्क्यस्मृत्योः परिचयः।
इकाई 08	वैदिकच्छन्दसां परिचयः।
इकाई 09	शिक्षाग्रन्थानां परिचयः।
इकाई 10	वेदभाष्यकाराणां परिचयः।

व्याकरण (यूएसयू–11)

यूनिट–1

(i) व्याकरणशास्त्रस्येतिहासः

(ii) वैयाकरणसिद्धान्तकौमुद्याः प्रथमभागादारभ्य द्वितीयभागस्य समासप्रकरणंयावत्।

यूनिट–2

(i) वैयाकरणसिद्धान्त कौमुदी अवशिष्टभागः (सम्पूर्णा)

यूनिट–3

(i) लघुशब्देन्दुशेखरः–संज्ञाप्रकरणतः परिभाषाप्रकरणपर्यन्तम्

(ii) वाक्यपदीयस्य ब्रह्मकाण्डः

(iii) वैयाकरणभूषणसारस्य– (धात्वर्थप्रकरणतः सुबर्थप्रकरणान्तम्)

(iv) लघुशब्देन्दुशेखरः–अच्सन्धितः स्वादिसन्धिपर्यन्तम्

(v) न्यायसिद्धान्तमुक्तावल्याः शब्दखण्ड

(vi) वैयाकरणभूषणसारे–नामार्थतः ग्रन्थपर्यन्तम्

(vii) लघुशब्देन्दुशेखरे – अजन्तँपुल्लिङ्गप्रकरणम्

(viii) लघुशब्देन्दुशेखरे– अजन्तस्त्रीलिङ्गतः अव्ययप्रकरणान्तम्

(ix) लघुशब्देन्दुशेखरः–(स्त्रीप्रत्ययतः कारकप्रकरणे द्वितीयाविभक्त्यर्थप्रकरणान्तमः)

(x) कारकप्रकरणे तृतीयाविभक्तितः अव्ययीभावसमासं यावत्

यूनिट–4

(i) निरुक्तम्– (प्रथमद्वितीयाध्यायौ)

(ii) वैदिकवाङ्मयस्येतिहासः

(iii) लघुमञ्जूषान्ता–शक्तिलक्षणाऽऽकाङ्क्षायोग्यतातात्पर्यासत्तिप्रकरणा

(iv) निरुक्तम् (तृतीयचतुर्थाध्यायौ)

(v) व्युत्पत्तिवादः प्रथमाकारकप्रकरणम्–(नीलो घट.....न च.....इति दिक्)

यूनिट–5

भाषाविज्ञानम्

(i) भाषास्वरूपम्

(ii) भाषायाः उत्पत्तिः विकासश्च,

(iii) भाषापरिवारः

(iv) ध्वनिविज्ञानम्

(v) पदविज्ञानम् अर्थविज्ञानम्

यूनिट–6

भारतीयसंस्कृतिः, भारतीयसंस्कृति, तत्स्वरूपं वैशिष्टयञ्च

(i) पुरुषार्थचतुष्टयम्

(ii) वर्णाश्रमव्यवस्था

(iii) षोडशसंस्काराः

(iv) पंचमहायज्ञाः

(v) आधुनिक परिप्रेक्ष्ये उपर्युक्तानाम् उपादेयता।

यूनिट–7

(i) महाभाष्यम् नवाह्निकम्।

(ii) काशिकावृत्तिः (चतुर्थाध्यायान्तम्)

ज्योतिषम् (यूएसयू–12)

यूनिट–1

पंचाङ्ग विचार (तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण), ग्रह स्पष्टीकरण, दशासाधन (विंशोत्तरी, अष्टोत्तरी, योगिनी), पंचक विचार, विक्रमी सम्वत् शक सम्वत्, अयन, गोल, ऋतु, मास, पक्ष, भयात्, इष्टकाल, चालन, देशान्तर, रेखांश, अक्षांश, दिनमान, रात्रिमान, अहोरात्रमान्, षोडश वर्ग साधन (लग्न–होरा–द्रेष्काण–नवांश–द्वादशांश आदि)।

यूनिट–2

गोल, भूगोल, कक्षा गोल, वृत्त, व्यास रेखा, लंका रेखा देश, भूपरिधि, मध्य रेखा, नाड़ी रेखा, नाड़ी वृत्त, क्रान्ति वृत्त, कदम्ब स्थान, सावनमान, सौरमान, चान्द्रमान, नाक्षत्रमान, मूर्त्तकाल, अमूर्त्तकाल, अहोरात्र व्यवस्था, महायुगमान, मन्वन्तर, कल्पमान, ब्रह्म दिनमान, विनाड़ी नाड़ी, अहोरात्र, संक्रान्ति, पूर्णिमा, अमावस्या, तिथिक्षय, तिथिवृद्धि, अधिकमास, क्षयमास, भगण, विकला, कला, अंश, राशि।

यूनिट–3

सिद्धान्त संहिता होरा लक्षण, दैवज्ञ लक्षण, ग्रहयुद्ध (भेद, उल्लेख, अंशुमर्दन, अपसव्य) मेघ गर्भ लक्षण, मेघ गर्भधारण, मेघ गर्भ प्रसव काल, भूकप्प लक्षण, उल्का पात विचार, सद्योवृष्टि, जल, प्रकरण, सन्ध्या लक्षण, मेघों के प्रकार।

यूनिट–4

होरा, काल पुरूष के अवयव, राशि स्वरूप, राशि स्वामी, मेषादि राशियों के पर्यायवाची, पृष्ठोदय–शीर्षोदय–उभयोदय, राशियां, क्रूर–सौम्य, पुरूष–स्त्री, चर–स्थिर–द्विस्वभाव राशियां, ग्रहेच्चनीच, वर्गोत्तम राशियां, द्वादशभाव पर्यायवाची, केन्द्र–त्रिकोण, पणकर, आपोक्लिम भाव संज्ञा, राशियों के वर्ण दिशा।

यूनिट–5

सूर्यादि ग्रहों की आत्मादि संज्ञा, ग्रहों के पर्यायवाची, ग्रहवर्ण, ग्रहों की मूल त्रिकोण राशियां, पूर्वादि दिशाओं के स्वामी, मेषादि राशियों की दिशाएं, पुरूष–स्त्री–नपुंसक ग्रह एवं ब्राह्मण–क्षत्रिय–वैश्य–शूद्र वर्णादि विचार, ग्रहस्वरूप, धातुओं के स्वामी

ग्रह, ग्रह–दृष्टि, रसों के स्वामी ग्रह, नैसर्गिक–तात्कालिक–पंचधा ग्रह मैत्री, ग्रहों के षड्बल, ग्रहों की दीप्तादि–बालादि–जागृतादि अवस्थाएं।

यूनिट–6

गर्भसंभव, असंभव ज्ञान, मैथुन विचार, आयुविचार (दीर्घायु–मध्यमायु, अल्पायु अमितायु, दिव्य–आयु, पूर्णायु) अरष्टि विचार (बालारिष्ट–योगारिष्ट) अरिष्ट भंग योगादि।

यूनिट–7

नपुंसक योग, पंच महापुरूष योग (रुचक–भद्र–हंस–मालव्य–चारू–शश योग) गजकेसरी योग, राजयोग, महाराजयोग, लक्ष्मीयोग, आश्रय योग, आकृति योग, संख्या योग, वेशि–वाशि–उभयचरीयोग, सुनफा–अनफा–दुरुधरा–केमद्रुम योग, धनाढ्य योग।

यूनिट–8

वामन योग, कुवज योग, सदन्त योग, जन्मान्ध योग, जारज योग, कुष्ठयोग, व्रणयोग, रोगयोग, नेत्रयोग, कर्णरोग, मधुमेह रोग, ह्रदयरोग, विषकन्या योग, विषयकन्या भङ्गयोग, राजभङ्गयोग, नीच भङ्गराजयोगादि।

यूनिट–9

वर्षप्रवेशसाधन, तिथिसाधन, मुन्था विचारर, वर्षनिर्णय, ग्रहदृष्टि, ग्रहमैत्री दीप्तांश, इक्वालादि षोडश योग, गोचर विचार, शनि साढ़ेसाती, ढैय्या, नन्दानि तिथियां, सिद्धयोग, अमृतयोग, ध्रुवगण, चरगण, मिश्रगण, लघुगण, मृदुगण, त्रिपुष्करयोग, भद्रा, चन्द्रवास, गर्भाधानविचार, नामकरणमुहूर्त, अन्नप्राशनमूहूर्त, मुण्डनमूहूर्त, यज्ञोपवीत मुहूर्त, विवाहनक्षत्र, विवाहमास, अष्टकूट, मांगलिक विचारादि।

यूनिट–10

परगृहनिवासफल, गृहारम्भविधि, काकिणी विचार, भूमिलक्षण, भूमिदोष, वासयोग्य भूमि, जागृतादि भूमि, राहुमुखपुच्छाविचार, खातविधि, शिलान्सासविधि, निषिद्धकाष्ठ, दिशानुसार गृहविभाग, ताराफल, त्याज्यमास, ग्राह्यमास, गृहारम्भ समय, शुभयोग, वास्तुचक्र, वृषवास्तुचक्र, कूर्मचक्र, द्वारनिर्णयविचार, विविध गृहप्रवेश, जीर्ण गृह प्रवेश विचार, वृक्षविचारादि।

साहित्यम् (यूएसयू–13)

यूनिट–1

(i) काव्यप्रकाशः (सम्पूर्णम्)

यूनिट–2

(i) ध्वन्यालोकः (सम्पूर्णम्)

यूनिट–3

(i) दशरुपकम् (सम्पूर्णम्)

यूनिट–4

(i) काव्यशास्त्रीय षट् सम्पद्रायाः
(रस–अलंकार–ध्वनि–औचित्य–वक्रोक्ति–रीतयः)

यूनिट–5

(i) काव्यमीमांसा (प्रारम्भिकाः पंचाध्यायाः)

यूनिट–6

(i) नाटकानि–आभिज्ञानशाकुन्तलम्, मुद्राराक्षसम्, उत्तररामचरितम्

यूनिट–7

(i) महाकाव्यानि–रघुवंशमहाकाव्यम्, नैषधीयचरितम्, शिशुपालवधम्।

यूनिट–8

(i) षड्दर्शनानां सामान्य–परिचयः।

यूनिट–9

(i) वैदिकसाहित्यस्य सामान्य–परिचयः।

यूनिट–10

(i) नाट्यशास्त्रम् (1,2,6 अध्यायाः)

योगाचार्य (यूएसयू–14)

यूनिट–1

(अ) योग के आधारभूत तत्व

(i) योग का अर्थ, योग की परिभाषा, योग का इतिहास, योग का उद्गम एवं विकास, आधुनिक युग में योग की उपयोगिता।

(ii) विभिन्न ग्रन्थों में योग का स्वरूप–वेद, उपनिषद्, गीता, बौद्ध, जैन, न्यास, वैशेषिक, सांख्य, मीमांसा, वेदान्त।

(iii) योग पद्धतियाँ : राजयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्मयोग, हठयोग, अष्टांग योग, क्रिया योग, समग्रयोग।

(iv) विभिन्न योगियों का जीवन परिचय एवं योग के क्षेत्र में योगदान महर्षि पंतजलि, श्री अरविन्द स्वामी कुवलयानन्द, स्वामी शिवानन्द, स्वामी विवेकानन्द, स्वामी दयानंद, योगी श्याम–चरणलाहिडीं, गुरू गोरक्षनाथ।

(ब) भारतीय दर्शन एवं मानव चेतना

(i) दर्शन–अर्थ, परिभाषायें तथा भारतीय दर्शन का परिचय, आधुनिक जीवन में दर्शन की उपयोगिता। चार्वाक–दर्शन का सामान्य परिचय एवं सिद्धान्त। बौद्ध दर्शन का सामान्य परिचय एवं सिद्धान्त। जैन दर्शन का सामान्य परिचय एवं सिद्धान्त। न्याय दर्शन का सामान्य परिचय एवं सिद्धान्त। सांख्य दर्शन–सामान्य, तथा आधुनिक जीवन में उपयोगिता।

(ii) मीमांसा दर्शन–सामान्य परिचय तथा सिद्धान्त। ईश्वर, आत्मा, बन्धन, मोक्ष तथा कर्म का सिद्धान्त।

(iii) मानव चेतना–चेतना का अर्थ, परिभाषा, मानव चेतना का स्वरूप, मानव चेतना के अध्ययन की आवश्यकता तथा वेद, उपनिषद, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन एवं षट् दर्शनों में मानव चेतना का स्वरूप।

(iv) मानव चेतना के रहस्य–कर्म सिद्धान्त, संस्कार और पुनर्जन्म, भाग्य और पुरूषार्थ। विभिन्न धर्मों में मानव चेतना के विकास की विधियां–इस्लाम, ईसाई, सिक्ख तथा हिन्दू धर्म।

यूनिट–2

(अ) यौगिक ग्रन्थ– (श्रीमद्भगवद् गीता)

(i) गीता का परिचय, उद्देदश्य, गीता का महत्व, आधुनिक जीवन में गीता की उपादेयता, अर्जुन की अवस्था।

(ii) गीता के अनुसार– आत्मा का स्वरूप, योग के विभिन्न लक्षण, स्थित प्रज्ञता (अध्याय–2), कर्म सिद्धान्त, सृष्टि चक्र की परम्परा, लोक संग्रह (अध्याय–3)

(iii) धर्म का स्वरूप (3) कर्मयोग की परम्परा, यज्ञ का स्वरूप, ज्ञान की अग्नि (4) गीता के अनुसार सांख्य योग तथा कर्म योग की एकता (अध्याय 3)

(iv) गीता के अनुसार सन्यास का स्वरूप, मोक्ष में सन्यास की उपादेयता (5) कर्म योगी के लक्षण, ब्रह्म ज्ञान का उपाय, अभ्यास और वैराग्य, ध्यान। माया का स्वरूप (अध्याय 7)

(v) ईश्वर की विभूतियां(अध्याय 10), गीता के अनुसार ईश्वर का विराट स्वरूप, निष्काम कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग (अध्याय 12) क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ (अध्याय 13), प्रवृत्ति एवं निवृत्ति (अध्याय 14) त्रिविध श्रद्धा (अध्याय 17)

(ब) सांख्यकारिका

(i) सांख्यकारिका का परिचय, काल, सांख्यदर्शनकार ईश्वर कृष्ण का जीवन परिचय, सांख्यकारिका का उद्देदश्य, आधुनिक जीवन में सांख्यकारिका की उपादेयता।

(ii) सांख्यकारिका के अनुसार दुःख का त्रैविध्य, दुःखापघाल के विभिन्न उपाय, प्रमाण का स्वरूप और भेद–प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द की व्याख्या।

सांख्य के अनुसार पच्चीस तत्वों की उत्पत्ति, सत्कार्य वाद अनुपलब्धि के कारण, व्यक्त–अव्यक्त विवेचन।

(iii) सांख्यकारिका के अनुसार गुणों का स्वरूप, पुरूष सिद्धि, पुरूष बहुत्व, बुद्धि के आठ धर्म, अष्ट सिद्धि।

(iv) प्रकृति की अपवर्ग प्रवृत्ति, त्रयोदश करण, सूक्ष्म शरीर, मोक्ष, विदेह मुक्ति, जीवन मुक्ति।

यूनिट–3

हठयोग के सिद्धान्त

(i) हठयोग की परिभाषा अभ्यास हेतु उचित स्थान, ऋतु काल। साधना में साधक के बाधक तत्व, सिद्धि के लक्षण तथा योगी के लिए आहार। हठप्रदीपिका में वर्णित आसनों की विधि व लाभ।

(ii) हठप्रदीपिका के अनुसार प्राणायाम की परिभाषा, प्रकार, विधि व लाभ। प्राणायाम की उपयोगिता। षट्कर्म वर्णन–धौति, वस्ति, नेति, नौलि, त्राटक व कपालभाति की विधि व लाभ।

(iii) हठप्रदीपिकानुसार बन्ध–मुद्रा वर्णम्–महामुद्रा, महाबंध, महावेध, खेचरी, उड्डीयान बन्ध, जालन्धर–बन्ध, मूलबन्ध, विपरीतकरणी, बज्रोली, शक्तिचालिनी। समाधि का वर्णन। नादानुसन्धन, कुण्डलिनी का स्वरूप तथा जागरण के उपाय।

(iv) घेरण्ड संहिता में वर्णित आसन, प्राणायाम, मुद्राएं प्राणाहार, ध्यान व समाधि का विवेचन।

यूनिट–4

मानव शरीर रचना/क्रियाविज्ञान

(i) कोशिका, ऊतक की रचना व क्रिया। अस्थि तथा पेशी तन्त्र की रचना तथा क्रिया और उन पर योग का प्रभाव। लिंगामेन्ट, टेन्डन, जोड़ के प्रकार रचना व कार्य, मेरूदण्ड, रचना एवं कार्य।

(ii) रक्त का संगठन : लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, प्लेट्लेट्स, प्लाजमा, हीमोग्लोबिन–रक्त का थक्का, ब्लड ग्रुप और उसकी उपयोगिता। रोग प्रतिरोधात्मक तंत्र।

(iii) रक्त परिसंरण तंत्र : ह्रदय की रचना व क्रिया व कार्य तथा उन पर योग का प्रभाव। श्वसन तंत्र : रचना, क्रिया कार्य तथा योग का प्रभाव।

(iv) उत्सर्जन तंत्र : रचना, क्रिया, कार्य तथा योग का प्रभाव।

(v) पाचन तंत्र : रचना, क्रिया, कार्य तथा योग का प्रभाव।

(vi) अंत : स्रावी ग्रन्थियाँ : रचना, क्रिया कार्य तथा योग का प्रभाव।

(vii) ज्ञानेन्द्रियाँ : रचना, क्रिया, कार्य तथा योग का प्रभाव।

(viii) प्रजनन तंत्र तथा तंत्रिका तंत्र की रचना, क्रिया, कार्य तथा योग का प्रभाव।

यूनिट–5

पातंजल योग सूत्र

(i) योग की परिभाषा, चित्त की भूमियाँ, चित्त की वृत्तियाँ, अभ्यास और वैराग्य, समाधि के भेद, ईश्वर का स्वरूप, ईश्वर प्रणिधान, योगान्तराय, चित्तप्रसादन के उपाय, ऋतम्भरा प्रज्ञा।

(ii) क्रिया योग, पंचक्लेश, कर्माशय, दुःख का स्वरूप, चतुर्थावाद, विवेक ख्याति। सप्तधा प्रज्ञा।

(iii) योग के आठ अंग, यम–नियम की व्याख्या, महाव्रत का स्वरूप, वितर्क विवेचन, यमसिद्धि का फल, नियम सिद्धि का फल, आसन व आसन सिद्धि, प्राणयाम का फल, प्रत्याहार तथा प्रत्याहार का फल।

(iv) धारण, ध्यान और समाधि, संयम, चित्त का परिणाम, विभूति और उसके भेद, धर्म मेघ कैवल्य का स्वरूप।

(v) सिद्धि के पाँच भेद, निर्माण चित्त, कर्म के भेद, द्रष्टा और दृश्य, समाधि का स्वरूप, स्वरूप प्रतिष्ठान।

यूनिट–6

(अ) स्वस्थवृत्त, आहार एवं पोषण

(i) स्वास्थ्य की परिभाषा, स्वस्थ पुरूष के लक्षण, स्वस्थ वृत्त का प्रयोजन, दिनचर्या मुखशोधन, व्यायाम–व्यायाम की परिभाषा, प्रकार, योग्यायोग्य, स्नान, अभ्यंग की उपयोगिता व प्रकार, स्नान के लाभ, ऋतु एवं दोष के अनुसार स्नान, संध्योपासना, योगाभ्यास, रात्रिचर्या, निंद्रा ब्रह्मचर्य।

(ii) ऋतुचर्या–ऋतु विभाजन, ऋतु के अनुसार दोषों का संचय, प्रकोप एवं प्रश्मन। सद्वृत्त एवं आचार रसायन।

(iii) आहार की परिभाषा, आहार के गुण व कर्म : आहार मात्रा, काल, संतुलित आहार, दुग्धाहार, फलाहार, अपक्वाहार, मिताहार, उपवास, शाकाहार के गुण, मांसाहार के अवगुण।

(iv) भोज्य तत्वों का रासायनिक वर्गीकरण, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज, लवण, विटामिन, जल का संगठन, वर्गीकरण तथा शरीर में कार्य। आहार योजना, यौगिक आहार।

(v) पोषण–पोषण की अवधारणा, कुपोषण का प्रभाव। कुपोषण से होने वाले रोग और उपवास में अंतर, कुपोषण का निवारण, पोषण आहार और उसकी उपयोगिता।

(ब) योग चिकित्सा

(i) योग चिकित्सा– अर्थ, क्षेत्र, सीमाएं, उद्देश्य एवं सिद्धान्त। योग चिकित्सा के साधन–यम, नियम, आसन, प्राणायाम, षटकर्म, मुद्रा, बंध, ध्यान।

(ii) पंच महाभूत, पंचकोश, पंच प्राण, षट्चक्र की अवधारणा। भिन्न–भिन्न रोगों में योग चिकित्सा देने के नियम एवं सावधानियां, यौगिक कक्षाओं का वर्गीकरण, योग चिकित्सक के लिए आवश्यक नियम, रोगी–चिकित्सक का सम्बन्ध।

(iii) सामान्य रोगों का लक्षण, कारण सहित यौगिक प्रबन्धन।

(iv) श्वास रोग– साइनोसाइटिस, श्वास एवं दमा प्रतिशयाय।

(v) पाचन तंत्र सम्बन्धी–कब्ज, अजीर्ण, अल्सर, उदर–वायु, पीलिया, कोलाइटिस (वृहदांत्र शोध)

(vi) रक्त परिवहन तंत्र– उच्च रक्त चाप, निम्न रक्त चाप, हृदय धमनी अवरोध।

(vii) प्रजनन सम्बन्धी रोग–नपुंसकता एवं अप्रजायिता

(viii) उत्सर्जन तंत्र–पथरी

(ix) अन्तस्रावी ग्रन्थियाँ सम्बन्धी–सरवाइकल स्पोडोलाइटिस, लम्बर स्पीडोलाइटिस, अर्थराइटिस, गठिया।

(x) स्त्री रोग–मासिक धर्म नियमित न होना, ल्यूकोरिया कटिशूल।

(xi) तंत्रिका तंत्र–माइग्रेन एवं सिर दर्द, दौरे पड़ना।

(xii) मानसिक स्वास्थ्य की अवधारणा, मानसिक रोगों के कारण व लक्षण, मानसिक रोग के प्रकार–चिन्ता, अवसाद, दुर्बलता, अनिद्रा रोग का यौगिक प्रबन्धन। व्यक्तित्व विकास का यौगिक प्रबन्धन।

यूनिट–7

योग एवं शारीरिक शिक्षा

(i) शारीरिक शिक्षा का अर्थ, परिभाषा, उद्देदश्य। शारीरिक शिक्षा का इतिहास। आसन तथ व्यायाम में विभिन्नता एवं समानता। शारीरिक शिक्षा में योग का महत्व।

(ii) ट्रेनिंग (अभ्यास) और प्रशिक्षण (कोचिंग) का अर्थ एवं परिभाषा, उद्देदश्य कार्य एवं विशेषताएं। खेल ट्रेनिंग के सिद्धान्त तथा योग में उनका महत्व। प्रशिक्षक के गुण, प्रशिक्षक की योग्यता अनुकूलन।

(iii) अधिभार का अर्थ परिभाषा, सिद्धान्त, कारण, लक्षण, अधिभार को सम्भालने के उपाय। ट्रेनिंग भार की परिभाषाएं, प्रकार, अवधारणा, सिद्धान्त।

(iv) शारीरिक दक्षता के घटक शक्ति परिभाषाएं, प्रकार (अधिकतम शक्ति, विस्फोटक शक्ति, शक्ति सहनशीलता), सहनशीलता–परिभाषा, विशेषताएं प्रकार 1. खेल क्रियाओं के अनुसार : (ख) मूलभूत सहनशीलता,, (ख) सामान्य सहनशीलता, (ग) विशिष्ट सहनशीलता। 2. समय अवधि के अनुसार : (क) चाल सहनशीलता, (ख) सूक्ष्मकालीन सहनशीलता, (ग) मध्यकालीन सहनशीलता। लचीलापन–परिभाषा, विशेषताएं, प्रकार (क्रियाशील लचीलापन, अक्रियाशील लचीलापन) लचीलेपन के विकास की विधियां एवं सावधानियां। चाल–परिभाषा, विशेषताएं, प्रकार (प्रतिक्रिया योग्यता, गति की चाल, त्वरण योग्यता, प्रचलन योग्यता, चाल सहनशीलता)। समन्वय योग्यता– परिभाषा, विशेषताएं, प्रकार (निर्धारण योग्यता, युग्मन की योग्यता, पृथककरण की योग्यता, तालमेल योग्यता)।

(v) ट्रेनिंग की योग्यता, निर्माण का महत्व योजना–निर्माण के सिद्धान्त योजना–निर्माण प्रणाली तथा उसका योग में महत्व। अवधिकालीनता (तैयारीकाल, प्रतियोगिताकाल, संक्रमणकाल) अवधिकालीनता के प्रकार (एकल अवधि कालीनता, दोहरी अवधि कालीनता) वार्मिंग अप (गर्माना) कूलिंग डाउन (शिथलीकरण)।

यूनिट–8

योग एवं सम्बद्ध विज्ञान

(i) आयुर्वेद का अर्थ, परिभाषा, प्रयोजन, इतिहास, आयुर्वेद के सिद्धान्त, आयुर्वेद का अंग।

(ii) दोष, धातु, मल, उपधातु, इन्द्रिय, अग्नि, प्राण प्राणायाम, प्रकृति–देहप्रकृति व मनस् प्रकृति की सामान्य जानकारी।

(iii) योग एवं शिक्षा– शिक्षा की अवधारणा, महत्व एवं उद्देश्य, शिक्षा का क्षेत्र, शिक्षा में योग की आवश्यकता, योग के विभिन्न शिक्षणालयों का परिचय।

(iv) योग एवं स्वास्थ्य शिक्षा– स्वास्थ्य का अर्थ, परिभाषा, स्वरूप।

(v) स्वास्थ्य शिक्षा– अर्थ एवं उद्देश्य, स्वास्थ्य रक्षा के सिद्धान्त, स्वास्थ्य रक्षा की विधियाँ।

(vi) योग एवं मूल्यपरक शिक्षा–मूल्यपरक शिक्षा की अवधारणा, उद्देश्य एवं आधुनिक काल में मूल्यपरक शिक्षा की आवश्यकता, योग एवं मूल्यपरक शिक्षा में सम्बन्ध।

यूनिट–9

(अ) प्राकृतिक चिकित्सा के सिद्धान्त

(i) प्राकृतिक चिकित्सा का संक्षिप्त इतिहास। प्राकृतिक चिकित्सा के मूल सिद्धान्त–रोग का मूल कारण, रोग की तीव्र व जीर्ण अवस्थाएं। विजातीय विष का सिद्धान्त। जीवन शक्ति बढ़ाने के उपाय। आकृति निदान।

(ii) जल चिकित्सा : जल का महत्व, जल के गुण, विभिन्न तापक्रम के जल का शरीर पर प्रभाव, जल चिकित्सा के सिद्धान्त, जल प्रयोग की विधियां। जलपान, प्राकृतिक स्नान, साधारण व घर्षण स्नान। कटि स्नान, मेहन स्नान, वाष्पस्नान, साधारण व घर्षण स्नान। कटि स्नान, मेहन स्नान, वाष्प स्नान, रीढ़ स्नान, उष्ण पाद स्नान पूरे शरीर की गीली पट्टी। छाती, पेट, गले, व हाथ–पैर की पट्टियां। स्पंज एनिमा।

(iii)मिट्टी, सूर्य व वायु चिकित्सा–मिट्टी का महत्व, प्रकार व गुण। शरीर पर मिट्टी की पट्टियां। मृतिका स्नान। सूर्य प्रकाश का महत्व, शरीर पर सूर्य प्रकाश की क्रिया–प्रक्रिया, सूर्य स्नान। विभिन्न रंगों का प्रयोग। वायु का महत्व। वायु का आरोग्यकारी प्रभाव। वायु स्नान।

(iv) उपवास–सिद्धान्त व शारीरिक क्रिया–प्रतिक्रिया, आरोग्य हेतु उपवास। रोग का उभार व उपवास। उपवास के नियम, उपवास के प्रकार–दीर्घ, लघु, पूर्ण, अर्ध, जलोवास, रसोपवास, फलोपवास, एकाहारोपवास, आदर्श आहार, प्राकृतिक आहार, रोग निवारण में उपयुक्त आहार, आदर्श आहार व संतुलित में अंतर।

(v) अभ्यंग की परिभाषा, इतिहास व महत्व। अभ्यंग का विभिन्न अंगों पर प्रभाव विधियां – सामान्य, घर्षण, थपकी, मसलना, दलना, दबाना, कम्पन, सहलाना, इकझोरना, तल मुक्की, चुटकी आदि। रोगों में अभ्यंग की महत्ता।

(ब) वैकल्पिक चिकित्सा

(i) वैकल्पिक चिकित्सा : वैकल्पिक चिकित्सा के अवधारणा/चिकित्साके क्षेत्र व सीमा/ वैकल्पिक चिकित्सा का महत्व/वैकल्पिक चिकित्सा एवं योग का सम्बन्ध।

(ii) एक्यूप्रेशरः एक्यूप्रेशर का अर्थ, इतिहास एवं एक्यूप्रेशर के सिद्धान्त एवं विधि, एक्यूप्रेशर के उपकरण, एक्यूप्रेशर के लाभ, विभिन्न दाब बिन्दुओं का परिचय, सुजोक–परिचय, एक्यूप्रेशर एवं सुजोक में साम्यता एवं विषमता।

(iii) प्राप्ति चिकित्सा : प्राण का अर्थ, स्वरूप, प्राण चिकित्सा का परिचय, इतिहास एवं सिद्धान्त, ऊर्जा केन्द्र, प्राण चिकित्सा की विभिन्न विधियां।

(iv) पंचकर्म चिकित्सा : पूर्व कर्म–स्नेहन, स्वेदन, मुख्य कर्म–वमन, विरेचन, आस्थापन बस्ति, अनुवासन बस्ति, शिरोविरेचन की विधि, सावधानियां एवं लाभ/पश्चात् कर्म–संसजर्न कर्म, रसायन, बाजीकरण प्रयोग।

(v) चुम्बक चिकित्सा : अर्थ, स्वरूप, क्षेत्र, सीमाएं एवं सिद्धान्त, चुम्बक के विभिन्न प्रकार, चुम्बक चिकित्सा की विधि एवं विभिन्न रोगों पर चुम्बक का प्रभाव।

यूनिट–10

(अ) योग में अनुसंधान विधियां

(i) अनुसंधान का स्वरूप, अनुसंधान की विधियां, वैज्ञानिक विधि, योग में अनुसंधान का महत्व।

(ii) समस्या– अर्थ एवं स्वरूप, परिकल्पना का स्वरूप एवं कथन। प्रतिदर्श–अर्थ एवं चयन विधियां।

(iii) अनुसंधान विधियाँ– निरीक्षण–विधि, सहसम्बन्धात्मक विधि, प्रयोगात्मक विधि।

(iv) नियंत्रण – स्वरूप, स्वतंत्र व आश्रित चर, नियंत्रण विधियाँ।

(v) प्रायोगिक अनुसंधान विधियाँ–प्रायोगिक अभिकल्प, शोध अभिकल्प (दो यादृच्छिक अभिकल्प, कारकीय–अभिकल्प)।

(ब) सांख्यिकीय विधियां

(i)सांख्यिकी का अर्थ एवं महत्व, अनुसंधान, आंकड़ों का प्रस्तुतीकरण एवं वितरण लेखाचित्रीय अंकन (आकृति, बहुलक, स्तम्भाकृति)।

(ii) केन्द्रीय प्रवृत्ति के माप : व्यवस्थित व अव्यवस्थित आंकड़ों का मूल्यांकन, मध्यांक एवं बहुलक की गणना। विचलन की माप–प्रसार क्षेत्र, चतुर्थास और आन्तरिक विचलन।

(iii) सामान्य वक्र– अर्थ, महत्व और उपयोग। कोटि अन्तर विधि व्यवस्थित तथा अव्यवस्थित आंकड़ों का आघूर्ण विधि (Product) द्वारा Momentum ज्ञात करना।

(iv) प्रतिगमन–प्रतिगमन समीकरण–विचलन रूप और प्रबन्धक रूप, अनुमान की प्रामाणित त्रुटि का स्क्वायर परीक्षण मध्यांक परीक्षण। (Mediantect)।

(v) मध्यमान की सार्थकता, मध्यमानों के मध्य के अंतर की सार्थकता (critical ratio), टी परिमापन, प्रसरण, विश्लेषण (oneway)

शिक्षाशास्त्र (यूएसयू–15)

शिक्षा के दार्शनिक आधार

(क) सम्प्रत्यय एवंपरिभाषा, प्रकृति,सम्बन्ध, सांख्य, वेदान्त, न्याय, बौद्ध दर्शन, जैनदर्शन, इस्लाम, सम्प्रत्यय, तत्व एवंमूल्य मीमांसातथाइनका शैक्षिकनिहितार्थ,तार्किकविश्लेषण, तार्किकअनुभववाद, सापेक्षवाद, प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, प्रयोजनवाद, ज्ञानमीमांसा, तत्वमीमांसा एवंमूल्यमीमांसा के सन्दर्भमें, तथा इनके अनुसारशिक्षा के उद्देश्य, विषयवस्तुशिक्षणविधि एवं शैक्षिकनिहितार्थ, स्वतन्त्रता, समानता, समसामायिकभारतीय शिक्षामेंभारतीय दार्शनिकों के योगदानको समझसकेंगे, हमारे जीवन में शैक्षिकमूल्यों के प्रभावको समझसकेंगे, भारतीय संविधान द्वाराशिक्षा के लिए किए गए प्रावधानों की व्याख्या करसकेंगे, लोकतन्त्र की विशेषताओं एवंकार्योंकाज्ञानप्राप्तकरसकेंगे, यथार्थवाद, तार्किकसापेक्षवाद, अस्तित्ववाद, मार्क्सवाद, ज्ञानमीमांसा, मूल्यमीमांसा एवंतत्त्वमीमांसा, तथाइनकाशिक्षा के उद्देश्य, विषय वस्तु एवंशिक्षण–विधियों के सन्दर्भमें शैक्षिकनिहितार्थ, विवेकानन्द, गाँधी, टैगोर, अरविन्दो, जे0 कृष्णमूर्ति, शिक्षा एवं इसकीराष्ट्रीय मूल्य विकासमेंभूमिका (विकासशील देशों के सन्दर्भ में), भारतीय संविधान, लोकतन्त्र, उत्तरदायित्व।

शिक्षा के समाजशास्त्रीय आधार

समाजिक संस्थाएं एवं इनका सम्प्रत्यय, समाजिक संस्थाओं को प्रभावित करने वाले कारक लोक परम्पराएं, समुदाय, विभिन्न संस्थाएं एवं मूल्य, समाजिक संस्थाओं के गत्यामकविशेषताएं एवंइनका शैक्षिकनिहितार्थ, सामाजिकसमूह एंवअन्य समूहों के साथसम्बन्ध समूहगतिशीलता, सामाजिकस्तरीकरण, सम्प्रत्यय एवंइसका शैक्षिकनिहितार्थ,संस्कृति केपरिप्रेक्ष्य मेंशिक्षा की भूमिका, शिक्षा के सांस्कृतिक निर्धारकतत्व, शिक्षा और सांस्कृतिक परिवर्तन, सामाजिक परिर्वतन–अर्थ, सम्प्रत्यय (भारतीय सन्दर्भ में) शहरीकरण, पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण, एवं सांस्कृति करणकासम्प्रत्यय (भारतीय सन्दर्भ में) एवं इसका शैक्षिक निहितार्थ, सामाजिक–आर्थिक कारक एवं इनका शिक्षा पर प्रभाव, आर्थिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान कर सकेंगे, विशेष रूप से अनसूचित जाति एवं जनजाति, महिलाएँ ग्रामीण जनसंख्या के परिप्रेक्ष्य में,शिक्षा और लोकतन्त्र के सम्बन्ध में समझना, समाजीकरण एवं सामाजिक विकास में शिक्षा के योगदान को बताना, समानता एवं शैक्षिक अवसरों की समानता के विषय में ज्ञान प्रदान करना, सामाजिक–आर्थिक कारक एवं शिक्षा पर इसका प्रभाव, समाज के आर्थिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़ा वर्ग विशेष रूप से अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग, महिला एवं ग्रामीण जनसंख्या, लोकतन्त्र, स्वतन्त्रता, राष्ट्रवाद एवं राष्ट्रीय समन्वय, अन्तर्राष्ट्रिय सद्भाव, समाजिक प्रणाली के रूप में, सामाजीकरण की प्रक्रिया के रूप में, सामाजिक विकास की प्रक्रिया के रूप में, शिक्षा एवं राजनीति, शिक्षा एवं धर्म, सामाजिक समता एवं शैक्षिक अवसरों की समान्ता के सन्दर्भ में शिक्षा, शैक्षिक अवसरों की असमानता एव उसका सामाजिक विकास पर प्रभाव,सामाजिक सिद्धान्त (सामाजिक परिवर्तन के सम्बन्ध में)–मार्क्सवाद, समग्र मानवता वाद (स्वदेशी पर आधारित)

शिक्षा के मनोवैज्ञानिकआधार

शिक्षा एवंमनोविज्ञानमेंसम्बन्ध,शैक्षिकमनोविज्ञानका क्षेत्र,प्रयोगात्मक,उपचारात्मक,डिफरेशियल, शारीरिक सामाजिक, संवेगात्मक,मानसिकसम्प्रत्यय एवं क्षेत्र निर्धारकतत्त्व–वैयक्तिकभिन्नतामेंवंशानुक्रम एवंवातावरण की भूमिका, शैक्षिककार्यक्रमों के आयोजन के लिए वैयक्तिकभिन्नताकामहत्त्वअर्थ एवंविशेषताएं,आवश्यकता एवंसमस्याएं, सम्प्रत्यय,विशेषताएं ,सृजनात्मकताकाविकास,शिक्षामेंसृजनात्मकताकामहत्त्व,बुद्धि की परिभाषा एवंप्रकृति,सिद्धान्त–द्विकारकसिद्धान्त (स्पीयरमैन) ।बहुकारकसिद्धान्त,समूहकारकसिद्धान्त), गिलफोर्डकीबुद्धि की संरचना,पदानुक्रमिता,बुद्धि का मापन (दो शाब्दिक एवंदोअशाब्दिकपरीक्षण,अर्थ एवंनिर्धारकतत्त्व ।प्रकार एवंगुणसिद्धान्त,व्यक्तित्वपरीक्षण(आत्मनिष्ठ एवंप्रक्षेपीविधियां)अर्थ,सिद्धान्त एवंइनका शैक्षिकनिहितार्थ–पॉवलावका शास्त्रीय अनुबन्धन,स्कीनरकाक्रियाप्रसूत,अन्तर्दृष्टिसिद्धान्त, लेविन का क्षेत्र सिद्धान्त,गैनेकाअधिगमपदानुक्रमिता,अधिगमकोप्रभावितकरनेवालेकारक,सम्प्रत्यय,अभिप्रेरणाकेसिद्धान्त–शारीरिकसिद्धान्त,मुरेकीआवश्यकतासिद्धान्त,मनोविश्लेषणात्मकसिद्धान्त,मैस्लोकाआवश्यकतापदानुक्रमिताकासिद्धान्त,अभिप्रेरणाकोप्रभावितकरनेवालेकारक,मानसिकस्वास्थ्य एवंविज्ञान–समायोजन एवंसमायोजन की प्रक्रिया,सुरक्षाप्रतिविधि।

शिक्षामेंअनुसन्धानविधियां

वैज्ञानिकज्ञानप्राप्तिकीविधियां, परम्पराएं, अनुभव, तर्क, अगमनात्मक एवंनिगमानात्मकशैक्षिकअनुसन्धान की प्रकृति एवं क्षेत्र–अर्थ, प्रकृति, एवंसीमाएं, शैक्षिकअनुसन्धान की आवश्यकता एवंउद्देश्य, वैज्ञानिक खोज एवंसिद्धान्तकाविकास, मूलभूत, अनुप्रयोगात्मक एवंक्रियात्मकअनुसन्धान, गुणात्मकएवंमात्रात्मकअनुसन्धान ।शैक्षिकअनुसंन्धानमेंप्रचलितनवीनप्रणालियां–अनुसंन्धान की समस्याकानिर्माण–समस्या के पहचान के लिए स्रोत एवंकसौटी,चरों की पहचान एवंक्रियान्वयन,सम्बन्धितसाहित्य का अध्ययन, महत्त्व एवंविभिन्नस्रोत (इन्टरनेट इत्यादि)अनुसन्धानोंमें के विभिन्नप्रकार के परिकल्पनाओंकानिमार्णआंकड़ो के प्रकार, गुणात्मक एवंमात्रात्मक, शोध के उपकरण, विधियाँ एवंइनकीविशेषताएं, अच्छे शोध उपकरण के गुण,प्रश्नावली,साक्षात्कार,अवलोकनसमाजमितिविधियां,प्रक्षेपीविधियांअच्छेन्यादर्श के गुण एवंसोपान,न्यादर्श की विभिन्नविधियां–सम्भाव्य एवंअसम्भाव्य, न्यादर्श त्रुटियां एवंइसेकैसे कम करसकतेहै, अनुसन्धान के प्रमुख दृष्टिकोण–वर्णनात्मकउपागमकार्योत्तरअनुसन्धान,प्रयोगशालाइ अनुसन्धान, क्षेत्र अध्ययन, ऐतिहासिकअनुसन्धान,अनुसन्धानप्रारूप–अर्थ, सम्प्रत्यय, प्रकार एवंउपादेयता। एन्थोग्राफिक एथनोग्राफिक्सविकासात्मक, डॉक्यूमेन्टरीविश्लेषण,निष्कर्ष की वैधता एवंसीमाएँ, अनुसन्धान की वैधताकोप्रभावितकरनेवालेकारक, अनुसन्धान के निष्कर्ष की वैधताकोकैसे बढ़ा सकतेहैं? अनुसन्धानप्रस्तावतैयारकरना (शोध संक्षिप्तिका),अनुसन्धानप्रतिवेदनलिखना एवंमूल्यांकनकरना।

भारतीय शिक्षा की समसामयिकसन्दर्भ

वैदिकका,बौद्धकाल,मध्यकाल (मुगलकाल),एडम काप्रतिवेदन एवंसुझाव,वुड घोषणा पत्र 1854,लार्डकर्जन की शिक्षानीति, राष्ट्रीय चेतनाकाविकास, राष्ट्रीय शिक्षाआन्दोलन,(क) सैडलरकमीशनकाप्रतिवेदन 1917 एवंइसकेआवश्यक प्रावधान,हर्न्टागसमीतिएवंइसकेसुझाव,(ख) सार्जेन्टप्रतिवेदन 1944(ग) विश्वविद्यालय शिक्षाआयोग 1948–49माध्यमिक शिक्षाआयोग, 1952–53, भारतीय शिक्षाआयोग– 1964–66, राष्ट्रीय शिक्षानीति– 1986, संशोधितराष्ट्रीय शिक्षानीति– 1992, शिक्षाकासार्वभौमिकरण एवंअन्य सम्बन्धितविषय जैसेप्राथमिकशिक्षामेंसाताय एवंपूर्णतादरआदि, शिक्षाकाव्यवसायीकरण,बालिकाओं के लिए शिक्षा,सामाजिक रूपसेपिछडेवर्ग–अनुसूचितजाति, अनुसूचितजनजाति एवंअन्य पिछड़ीजाति के लोगों की शिक्षा,शिक्षामेंगुणवत्ता एवंउत्कृष्टतासेसम्बन्धितविषय, शैक्षिकअवसरोंकीसमानताप्रदानकरनेवालेसामाजिकसमतासेसम्बन्धितविषय, दूरस्थशिक्षाप्रणाली एवं (ओपन लर्निंग) मुक्तअधिगमसेसम्बन्धितविषय, जीवन कौशलएवंमानवमूल्यों के लिए शिक्षा,शिक्षा के माध्यम (भाषा चयन)सेसम्बन्धितविषय–त्रिभाषासूत्र, वैश्विकसन्दर्भमेंभावात्मक एकता एवंअन्तर्राष्ट्रीय अवबोध सेसम्बन्धितविषय।

हिन्दी (यूएसयू–16)

इकाई–1 हिंदी साहित्य का इतिहास (आदिकाल से वर्तमान तक)।
इकाई–2 प्राचीन (भक्तिकालीन), रीतिकालीन एवं आधुनिक काव्य।
इकाई–3 भारतीय एवं पाश्चात्य काव्यशास्त्र।
इकाई–4 हिंदी कथा साहित्य, नाटक एवं अन्य गद्य विधाएं।
इकाई–5 अनुवाद विज्ञान, प्रयोजनमूलक हिंदी, भाषा विज्ञान एवं शोध प्रविधि।

इकाई–1

हिंदी साहित्य का इतिहास (आदिकाल से वर्तमान तक)

हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा
हिंदी साहित्य का इतिहास : काल विभाजन, सीमा निर्धारण
आदिकाल की पृष्ठभूमि एवं नामकरण, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य, जैन साहित्य
हिंदी साहित्य के आदिकाल की प्रवृत्तियाँ, प्रतिनिधि रचनाकार और उनकी रचनाएं।
पूर्व मध्यकाल (भक्तिकाल) की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि।
भक्ति आंदोलन, भक्ति काव्य धाराएँ तथा उनका वैशिष्ट्य, संतकाव्य धारा (ज्ञानाश्रयी), सूफीकाव्य धारा (प्रेमाश्रयी) रामकाव्य, कृष्ण काव्य धारा।
उत्तर मध्यकाल (रीतिकाल) की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, काल–सीमा और नामकरण।
रीतिकालीन साहित्य की विभिन्न काव्य धाराएँ (रीतिसिद्ध, रीतिबद्ध और रीतिमुक्त) प्रमुख प्रवृत्तियाँ और विशेषताएँ, रीतिकालीन प्रमुख रचनाकार एवं रचनाएँ।
आधुनिक काल की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और प्रवृत्तियाँ।
भारतेंदु युग : प्रमुख साहित्यकार, रचनाएँ और साहित्यिक विशेषताएँ
द्विवेदी युग : प्रमुख साहित्यकार रचनाएँ और साहित्यिक विशेषताएँ
छायावादी काव्य : प्रमुख साहित्यकार, रचनाएँ और साहित्यिक विशेषताएँ
उत्तरछायावादी काव्य की विविध प्रवृत्तियां–प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता,
समकालीन कविता, प्रमुख साहित्यकार रचनाएँ और साहित्यिक विशेषताएँ,
हिंदी गद्य का उद्भव और विकास–(नाटक, निबंध, उपन्यास, कहानी, संस्मरण–रेखाचित्र, आलोचना, जीवनी एवं आत्मकथा तथा रिपोर्ताज एवं अन्य)।

इकाई–2

प्राचीन (भक्तिकाल), रीतिकालीन एवं आधुनिक काव्य

विद्यापति : विद्यापति पदावली, संपादक– रामवृक्ष बेनीपुरी (शुरु के 20 पद)।
कबीर : कबीर ग्रंथावली, संपा.– श्यामसुंदर दास (गुरुदेव को अंग, सुमिरन कौ अंग, विरह कौ अंग)।
मलिक मुहम्मद जायसी : पद्मावत, संपा.– आचार्य रामचंद्र शुक्ल (मानसरोदक खंड, नागमती वियोग खंड)।
सूरदास : भ्रमरगीत सार, संपा.– आचार्य रामचंद्र शुक्ल, लोक भारती प्रकाशन, इलाहाबाद (20 पद, पद संख्या 50–70)
तुलसीदास : रामचरित मानस, गीता प्रेस गोरखपुर, अयोध्या कांड (आरंभिक 1 से 30 दोहे)

रीतिकालीन हिंदी काव्य

रीतिकाव्य धारा–सं0 : डॉ. रामचंद्र तिवारी/डॉ. रामफेर त्रिपाठी (विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी।)
केशवदास – प्रारंभ के कुल 20 छंद।
बिहारी : प्रारंभ के कुल 30 दोहे।
भूषण : प्रारंभ के कुल 10 छंद।
घनानंद : प्रारंभ के कुल 15 छंद।
पद्माकर : प्रारंभ के कुल 10 छंद।

आधुनिक काव्य

भारतेंदु हरिश्चंद्र – गंगा वर्णन (गंगा महिमा)।
मैथिलीशरण गुप्त – साकेत (नवम् सर्ग)।
जयशंकर प्रसाद – कामायनी (चिंता, श्रद्धा–सर्ग)।
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला – सरोज–स्मृति, बादल राग।
सुमित्रानंदन पंत – रश्मिबंध (परिवर्तन, नौका विहार)।
रामधारी सिंह दिनकर – रश्मिरथी।
सच्चिदानंद, हीरानंद वात्सायन 'अज्ञेय' – असाध्यवीणा, नदी के द्वीप।
सर्वेश्वर दयाल सक्सेना – पोस्टर और आदमी।
वैद्यनाथ मिश्र 'नागार्जुन' – बादल को घिरते देखा है, सिंदूर तिलकित भाल।
चंद्र कुंवर बर्त्वाल – 'काफल पाको', 'मेघ नंदिनी'।

इकाई–3

भारतीय एवं पाश्चात्य काव्यशास्त्र

काव्य लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, काव्य के प्रकार, काव्य की आत्मा।
रस का स्वरूप, रस निष्पत्ति, साधारणीकरण, सहृदय की अवधारणा।
ध्वनि सिद्धांत– ध्वनि का स्वरूप, ध्वनि सिद्धांत की प्रमुख स्थापनाएँ, ध्वनि काव्य के प्रमुख भेद।
अलंकार सिद्धांत– मूल स्थापनाएँ।
रीति संप्रदाय– रीति की अवधारणा एवं स्थापनाएँ, काव्य गुण, रीति एवं शैली।
वक्रोक्ति सिद्धांत–वक्रोक्ति की अवधारणा, वक्रोक्ति के भेद।
औचित्य सिद्धांत परिचय, भेद तथा महत्त्व।
प्लेटो के काव्य सिद्धांत, अरस्तू का अनुकरण सिद्धांत, विरेचन सिद्धांत।
लोंजाइनस की उदात्त अवधारणा, वर्ड्सवर्थ का काव्यभाषा सिद्धांत।
कॉलरिज का कल्पना सिद्धांत, टी.एस. इलिएट का निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत, आई.ए. रिचर्डस का मूल्य सिद्धांत एवं संप्रेषण सिद्धांत।
शास्त्रीयतावाद, अभिव्यंजनावाद, मनोविश्लेषणवाद, मार्क्सवाद।
अस्तित्ववाद, नई समीक्षा एवं आधुनिकता, उत्तर आधुनिकता।

इकाई–4

हिंदी कथा साहित्य, नाटक एवं अन्य गद्य विधाएं

गोदान (उपन्यास) – प्रेमचंद
मैला आँचल (उपन्यास) – फणीश्वरनाथ रेणु
उत्तर बायां है –विद्यासागर नौटियाल।
कहानियाँ :

1. उसने कहा था – चंद्रधर शर्मा गुलेरी
2. वापसी – उषा प्रियंवदा
3. पोस्ट मैन – शैलेश मटियानी
4. नीली झील – कमलेश्वर
5. दोपहर का भोजन – अमरकांत
6. चीफ की दावत – भीष्म साहनी

आषाढ़ का एक दिन – मोहन राकेश।
चिंतामणि – भाग–1, रामचंद्र शुक्ल
निर्धारित निबंध : उत्साह, श्रद्धा और भक्ति है।
कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता – आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी
उत्तराखण्ड में संत मत और संत साहित्य (डॉ. पीतांबर दत्त बड़थ्वाल)
अशोक के फूल – आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी
स्मृति की रेखाएं (संस्मरण/रेखाचित्र) महादेवी वर्मा
आवारा मसीहा (जीवनी) विष्णु प्रभाकर

इकाई–5

अनुवाद विज्ञान, प्रयोजनमूलक हिंदी, भाषा विज्ञान एवं शोध प्रविधि

अनुवाद का अर्थ एवं परिभाषा, अवधारणा, अनुवाद की उपयोगिता।
हिंदी में अनुवाद की परंपरा एवं अनुवाद का महत्त्व, विभिन्न क्षेत्रों में अनुवाद की शैलियां, अनुवादक के गुण।
अनुवाद प्रविधि एवं सिद्धांत, अनुवाद के प्रकार एवं अनुवाद की प्रक्रिया।
अनुवाद के विभिन्न रूप– मशीनी अनुवाद, वैज्ञानिक एवं तकनीकी अनुवाद, कार्यालयी अनुवाद। मुहावरे एवं लोकोक्तियों का अनुवाद, अनुवाद की व्यावहारिक समस्याएं एवं समाधान।
अनुवाद के प्रकार (साहित्यिक अनुवाद) वर्तमान युग में अनुवाद की प्रासंगिकता।

प्रयोजनमूलक हिंदी : संकल्पना एवं व्यवहार क्षेत्र

- प्रयोजनमूलक हिंदी तात्पर्य, स्वरूप एवं परिभाषाएं
- प्रयोजनमूलक हिंदी उपयोगिता एवं महत्त्व
- प्रयोजनकमूलक हिंदी का अनुप्रयोग
- प्रयोजनमूलक हिंदी के विभिन्न व्यवहार–क्षेत्र
- प्रयोजनमूलक हिंदी की विशेषताएं

कार्यालयी हिंदी

- कार्यालयी हिंदी से तात्पर्य
- कार्यालयी हिंदी की उपयोगिता एवं स्वरूप
- टिप्पण, तात्पर्य एवं भेद
- आलेखन, अर्थ एवं प्रकार

राजभाषा हिंदी : विकास यात्रा, राजभाषा अधिनियम, 1963, राजभाषा नियम 1976 एवं अन्य संवैधानिक उपबंध

पारिभाषिक शब्दावली

- पारिभाषिक शब्दावली, अर्थ एवं स्वरूप
- पारिभाषिक शब्दावली, आवश्यकता एवं महत्त्व
- पारिभाषिक शब्दावली निर्माण के सिद्धांत
- पारिभाषिक शब्दावली की विशेषताएं

प्रयोजनमूलक हिंदी : हिंदी संस्थाओं का योगदान

- वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग
- केंद्रीय हिंदी निदेशालय
- केंद्रीय हिंदी संस्थान
- केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो

<u>भाषा विज्ञान</u> :–

भाषा : भाषा की उत्पति
भाषा : प्रकृति एवं स्वरूप
भाषा विज्ञान : नामकरण एवं परिभाषा
भाषा विज्ञान : अध्ययन की दिशाएं
भाषा विज्ञान का अन्य शास्त्रों से संबंध

<u>ध्वनि संरचना</u> :–

हिंदी की स्वर तथा व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण
ध्वनि गुण और उसकी सार्थकता
स्वर प्रक्रिया और तत्संबंधी नियम
ध्वनि परिवर्तन की दिशाएं
ध्वनि परिवर्तन के कारण

<u>रूप, शब्द और पद</u> :–

रूप से तात्पर्य
रूपिम की अवधारणा एवं तात्पर्य
शब्द और अर्थ का संबंध
शब्द निर्माण की प्रक्रिया

शब्द के प्रकार
पद – संकल्पना

वाक्य संरचना एवं प्रोक्ति विज्ञान :–

वाक्य परिभाषा एवं स्वरूप
वाक्य की संरचना
वाक्य के प्रकार एवं अनिवार्य तत्त्व
वाक्य परिवर्तन के कारण
प्रोक्ति– स्वरूप एवं प्रोक्ति विश्लेषण

अर्थ संरचना :–

अर्थ की प्रकृति एवं स्वरूप
अर्थबोध के साधन
अर्थ विकास की दिशाएं
अर्थ परिवर्तन के कारण

शोध प्रविधिः–

शोध : अवधारणा, परिभाषा, स्वरूप, तत्त्व, शोध और संचार सिद्धांत, भूमिका, प्रकार्य, क्षेत्र और महत्त्व। शोध के प्रकार। भाषा शोध।

शोध–प्रविधि : सर्वेक्षण, सामग्री विश्लेषण, केस स्टडी, समूह चर्चा, पैनल चर्चा, द्वितीयक आंकड़ों का विश्लेषण, प्रलेख आधारित शोध और पुस्तकालय शोध।

साक्षात्कार अनुसूची और प्रश्नावली – उपयोग, लाभ, समस्याएं और इनकी तुलना। साक्षात्कार–अनुसूची और प्रश्नावली की रचना। साक्षात्कार की कला और ध्यातव्य बातें।

आधार सामग्री संसाधन – संपादन, संवर्ग निर्माण, संकेतीकरण और सारणीकरण। विश्लेषण, व्याख्या और इतिवृत्त लेखन।

शोध प्रतिवेदन, परियोजना प्रतिवेदन

हिंदी शोध : नैतिक परिदृश्य।

इतिहास (यूएसयू–17)

प्रथम इकाई	
i.	प्राचीन भारतीय इतिहास के स्त्रोत
ii.	हड़प्पा सभ्यता–उत्पत्ति, तिथि, नगर योजना, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक जीवन और पतन
iii.	वैदिक संस्कृति (ऋग्वैदिक एवं उत्तरवैदिक) आर्यो से सम्बन्धित विविध विवाद, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक जीवन
iv.	महाजनपद – सोलह महाजनपद और गणतंत्र, राजनीतिक अवस्था,
v.	छठी शताब्दी ई0पू0 में द्वितीय नगरीकरण तथा मगध साम्राज्य का उत्थान (हर्यक वंश से नन्द वंश तक),
vi.	ईरानी एवं यूनानी आक्रमण, प्रभाव।
द्वितीय इकाई	
i.	मौर्य वंश – चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, प्रशासन, सामाजिक एवं आर्थिक अवस्था, मेगस्थनीज का भारत विवरण, अशोक का धम्म, मौर्य साम्राज्य का पतन।
ii.	उत्तर मौर्य काल –शुंग, कण्व, शक, इण्डोग्रीक (मिनाण्डर), कुषाण, सातवाहन तथा संगम काल, रोमन जगत के साथ व्यापारिक सम्बन्ध।
iii.	गुप्त, वाकाटक – उत्पत्ति और पतन, प्रशासन,साहित्य, विज्ञान, एवं प्रौद्योगिकी, हूण आक्रमण (तोरमाण एवं मिहिरकुल)।
iv.	कन्नौज के मौखरी, मालवा का यशोधर्मन, वल्लभी के मैत्रक, मगध और मालवा के उत्तर गुप्त,

	बंगाल का शशांक
v.	पुष्यभूति वंश –उत्पत्ति और पतन, हर्ष, प्रशासन, धर्म तथा कन्नौज का यशोवर्मन।
vi.	उत्तर भारत में साम्राज्य – कश्मीर के कार्कोट वंश, उत्पलवंश, प्रथम एवं द्वितीय लोहर वंश
तृतीय इकाई	
i.	दक्षिण भारत के राज्य – गंग, कदम्ब वंश , पश्चिमी और पूर्व चालक्य वंश , राष्ट्रकूट, कल्याणी चालुक्य, काकतीय, होयसल और यादव वंश, पल्लव, चेर, चोल, पाण्डय वंश ।
ii.	पूर्वी भारत में साम्राज्य – बंगाल के पाल और सेन, कामरूप के वर्मन, उड़ीसा के भौमाकार और सोम वंश
iii.	पश्चिमी भारत के साम्राज्य – गुर्जर प्रतिहार, कलचुरि–चेदि, गहड़वाल वंश, परमार वंश, चाहमान राजवंश और चन्देल राजवंश।
iv.	सिंध और मुल्तान – अरब सत्ता की स्थापना तथा अफगानिस्तान और पंजाब का शाही राज्य।
v.	विजय नगर साम्राज्य – उत्थान, पतन, प्रशासन, साहित्य, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक अवस्था।
vi.	मराठा शक्ति – शिवाजी, विजय एवं उपलब्धियाँ, प्रशासन।
चतुर्थ इकाई	
i.	सिक्ख : उत्थान एवं पतन।
ii.	1857 का प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष, कारण, विस्तार, और परिणाम
iii.	भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन का प्रथम चरण 1885 से 1905
iv.	भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन का द्वितीय चरण 1905 से 1919
v.	भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन का तृतीय चरण 1919 से 1947
आजाद हिन्द फौज, साम्प्रदायिकता का उत्थान और भारत का विभाजन	
पंचम इकाई	
i.	हड़प्पा एवं वैदिक संस्कृति – धार्मिक विश्वास एवं यज्ञीय परम्परा।
ii.	जैन एवं बौद्ध धर्म – उत्पत्ति, सिद्धांत, विस्तार तथा आजीवक सम्प्रदाय।
iii.	वैष्णव, शैव एवं शाक्त सम्प्रदाय– उत्पत्ति एवं विकास।
iv.	भक्ति आन्दोलन – उत्पत्ति, विकास, प्रमुख संत, शिक्षाएँ।
v.	सूफी आन्दोलन – उत्पत्ति, विकास, प्रमुख सन्त, शिक्षाएँ
vi.	19वीं शताब्दी में भारतीय पुर्नजागरण – सामाजिक एवं धार्मिक सुधार।

Environmental Science (यूएसयू–18)

UNIT-I

Fundamentals of Environmental Sciences and Environmental Chemistry

Definition, principle and scope of Environmental Science.

Structure and composition of atmosphere, hydrosphere, lithosphere and biosphere.

Natural resources and their assessment. Principles of remote sensing and GIS.

Environmental education and awareness. Environmental ethics.

Concept of Ecotone, Edge effects, Ecological niche, Biological invasions, Gene pool, Biopiracy, Bio-prospecting, Bioremediation, Bioindicators, Biofertilizers, Biofuels and Biosensors.

Classification of elements, Stoichiometry, Gibbs' energy, Chemical potential, Chemical kinetics, Chemical equilibria, Solubility of gases in water, Carbonate system, Unsaturated and saturated hydrocarbons, Radioisotopes.

Photochemical smog. Biogeochemical cycles – Nitrogen, Carbon, Phosphorus and Sulphur.

UNIT-II

Environmental Biology and Geosciences

Ecology as an inter-disciplinary science. Origin of life and speciation.
Ecosystem: Biotic and abiotic components. Functions - Energy flow in ecosystems, Food chains and food webs.
Types of Ecosystem: Desert, forest, wetlands, estuarine (mangrove) and grassland.
Population ecology: Characteristics of population, Concept of carrying capacity, Population growth and regulations.
Biodiversity and its conservation: Definition, types, importance of biodiversity and threats to biodiversity. Concept of hotspots of biodiversity. Strategies for biodiversity conservation. Extinct, Rare, Endangered and Threatened flora and fauna of India.
Origin of earth. Concept of minerals and rocks. Formation of igneous and metamorphic rocks. Soil forming minerals and process of soil formation.
Catastrophic geological hazards: Floods, landslides, earthquakes, volcanism, avalanche, tsunami and cloud bursts. Prediction of hazards and mitigation of their impacts.

UNIT-III

Energy, Environment and Waste Management

Solar radiation and its spectral characteristics.
Fossil fuels: Classification, composition, physico-chemical characteristics and energy content of coal, petroleum and natural gas.
Principles of generation of hydro-power, tidal energy, ocean thermal energy conversion, wind power, geothermal energy, solar energy (solar collectors, photo-voltaic modules, solar ponds).
Nuclear energy: Fission and fusion, Nuclear fuels, Nuclear reactor. Bioenergy.
Solid Waste: Types, sources, characteristics, components, processing, recovery and management.
Hazardous waste: Types, characteristics, health impacts and management.
e-waste: Classification, sources, impacts, methods of handling and disposal.
Fly ash: Sources, composition and utilisation.
Plastic waste: Sources, consequences and management.

UNIT-IV

Environmental Pollution its Control and Contemporary Issues

Air, Water, Soil, Noise,Thermal, Marine and Radioactive Pollution: Definition, sources, impacts and control measures.
Vehicular emissions and Urban air quality.Measurement of water quality parameters. Indian standards for drinking water. Industrial effluents and their interactions with soil components.
Global environmental issues: Biodiversity loss, Climate change, Ozone layer depletion, Acid rain. National Action Plan on Climate Change (Eight National missions).
Eutrophication and restoration of lakes. Conservation of wetlands, Ramsar sites in India.
Carbon sequestration and carbon credits. Green Building.

UNIT-V

Environmental Assessment, Management and Legislation

Environmental Impact Assessment (EIA): Aims, objectives, methodologies and process. EIA Guidelines. Procedure for reviewing EIA of developmental projects. Life-cycle analysis, costbenefit analysis. Guidelines for Environmental Audit. Environmental Management System Standards (ISO14000 series). Eco-labeling schemes.
Overview of Environmental Laws in India: Constitutional provisions in India (Article 48A and 51A). Wildlife Protection Act, 1972 amendments 1991, Forest Conservation Act, 1980, Indian Forest Act, Revised 1982, Biological Diversity Act, 2002, Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 amended 1988, Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981

amended 1987, Environmental (Protection) Act, 1986, The Plastic Waste Management Rules, 2016, The Bio-Medical Waste Management Rules, 2016, The Solid Waste Management Rules, 2016, The e-waste (Management) Rules 2016, National Forest Policy, 1988, National Water Policy, 2002, National Environmental Policy, 2006.

ENGLISH (यूएसयू–19)

UNIT-I

(A) British Poetry: Major Poetic Movements and Poets

Geoffrey Chaucer
Elizabethan lyrics & Metaphysical Poetry
Romantic Poetry
Victorian Poetry
Modern and Post-Modern Poetry

(B)British Prose: Major Essayists and Their Works

Francis Bacon
Addison & Steele
Charles Lamb
Hazlitt, Carlyle and Ruskin
Chesterton, A.G. Gardiner & Robert Lynd

UNIT-II

(A) British drama: Dramatic Movements and Major Dramatists

University Wits & Elizabethan Drama
Jacobean Drama
Restoration Drama
Modern Age Drama
Post Modern Drama

(B) British Novel: Growth of English Novel; Major Novelists and Their Works:

Origin of Novel, Its Types & Four Wheels of Novel
Early 19th Century Women Novelists
Victorian Novelists
British Novel till World War II
British Novelists of Post – 1950s

UNIT-III

Indian Writing in English- Major Movements, Writers & Their works

Sri Aurobindo, Rabindra Nath Tagore, Sarojini Naidu, Toru Dutt
Nissim Ezekiel, A.K. Ramanujan, Dom Moraes, Kamala Das, Keki N Daruwala, Meena Alexander, Jayant Mahapatra
The Great Trio: Mulk Raj Anand, Raja Rao & R.K. Narayan.
Bhabhani Bhattacharya, Chaman Nahal, Manohar Malgaonkar.
Women Novelists: Shashi Deshpande, Anita Desai, Kamala Markandaya, Kiran Desai, Anita Nair, Namita Gokhale
Arun Joshi, Amitav Ghosh, Shashi Tharoor, Upamanyu Chaterjee

UNIT-IV

(A) Literary Theory

Aristotle's Poetics

Dryden's Essay on Dramatic Poesy,
Wordsworth's Preface to Lyrical Ballads
Coleridge's Biographia Literaria
Arnold's Function of Criticism in Modern times

(B) Contemporary Critical Theories

Marxism & Post Modernism
Psychoanalytic Criticism & Formalism
Structuralism & Deconstruction
Feminist Criticism & Reader Response and Reception Theory
Postcolonial Criticism Cultural Studies & New Historicism

UNIT V

Indian Aesthetics: Major Exponents/Works

(i) Rasa Theory
(ii) Alankar Theory
(iii) Riti Theory
(iv) Dhwani Theory
(v) Vakrokti Theory

संकाय सदस्यों की सूची

वेद एवं पौरोहित्य विभाग

1. डॉ. अरुण कुमार मिश्र, सहायक प्रोफेसर/प्रभारी विभागाध्यक्ष

व्याकरण विभाग

1. डॉ. शैलेश कुमार तिवारी, सह–प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष
2. डॉ. दामोदर परगांई, सहासक प्रोफेसर
3. डॉ. राकेश कुमार सिंह, सहायक प्रोफेसर

ज्योतिष एवं वास्तुशास्त्र विभाग

1. डॉ. रत्न लाल, सहायक प्रोफेसर एवं प्रभारी विभागाध्यक्ष

साहित्य विभाग

1. डॉ. हरीश चन्द्र तिवाड़ी, सह–प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष
2. डॉ. प्रतिभा शुक्ला, सह–प्रोफेसर
3. डॉ. मनोज किशोर पंत, सहायक प्रोफेसर
4. डॉ. रामरतन खण्डेलवाल, सहायक प्रोफेसर
5. डॉ. कंचन तिवारी, सहायक प्रोफेसर

योग विज्ञान विभाग

1. डॉ. कामाख्या कुमार, सह–प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष
2. डॉ. लक्ष्मीनारायण जोशी, सहायक प्रोफेसर

शिक्षाशास्त्र विभाग

1. डॉ. अरविन्द नारायण मिश्र, सहायक प्रोफेसर/प्रभारी विभागाध्यक्ष
2. डॉ. प्रकाश पन्त, सहायक प्रोफेसर
3. डॉ. बिन्दुमति द्विवेदी, सहायक प्रोफेसर
4. डॉ. सुमन प्रसाद भट्ट, सहायक प्रोफेसर
5. श्रीमती मीनाक्षी सिंह रावत, सहायक प्रोफेसर

भाषा एवं आधुनिक ज्ञान–विज्ञान विभाग

1. प्रो. दिनेश चन्द्र चमोला, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष
2. डॉ. अजय परमार, सहायक प्रोफेसर, इतिहास
3. डॉ. सुशील कुमार, सहायक प्रोफेसर, हिन्दी
4. डॉ. विनय कुमार सेठी, सहायक प्रोफेसर, पर्यावरण विज्ञान
5. डॉ. उमेश कुमार शुक्ल, सहायक प्रोफेसर, हिन्दी
6. डॉ. श्वेता अवस्थी, सहायक प्रोफेसर, अंग्रेजी
7. श्री सुशील कुमार, सहायक प्रोफेसर, कम्प्यूटर

पत्रकारिता

1. डॉ. धीरज शुक्ला, सहायक प्रोफेसर (On Leave)
2. डॉ. उमेश कुमार शुक्ल, प्रभारी विभागाध्यक्ष

विभिन्न शुल्क

विद्यावारिधि (पीएच.डी.) से सम्बन्धित विभिन्न शुल्क जो निर्धारित किये गये हैं निम्नवत हैं।

1. विद्यावारिधि (पीएच.डी.) एक सत्रीय अनिवार्य पाठ्यक्रम कोर्स वर्क में प्रवेश के लिए काउंसलिंग शुल्क — रू0 1000.00

पूर्ण कालिक विद्यावारिधि (पीएच.डी.) एक सत्रीय अनिवार्य पाठ्यक्रम (कोर्स वर्क) हेतु विभिन्न शुल्कों का विवरण–

1. एक सत्रीय अनिवार्य पाठ्यक्रम (कोर्स वर्क) के आवेदन पत्र शुल्क — रू0 20.00
2. एक सत्रीय अनिवार्य पाठ्यक्रम (कोर्स वर्क) हेतु शुल्क — रू0 1000.00
3. मासिक शुल्क — रू0 500.00
4. पुस्तकालय मासिक शुल्क — रू0 200.00
5. पुस्तकालय शुल्क (सुरक्षा धनराशि) — रू0 1000.00
6. परिचय पत्र शुल्क — रू0 50.00

कुल योग — **रू0 2770.00**

7. एक सत्रीय अनिवार्य पाठ्यक्रम (कोर्स वर्क) के परीक्षा आवेदन पत्र शुल्क — रू0 20.00
8. नामांकन शुल्क — रू0 100.00
9. परीक्षा शुल्क — रू0 500.00

कुल योग — **रू0 620.00**

10. विद्यावारिधि (पीएच.डी.) एक सत्रीय अनिवार्य पाठ्यक्रम कोर्स वर्क द्वितीय प्रति लब्धांक पत्र शुल्क — रू0 200.00
11. विद्यावारिधि (पीएच.डी.) एक सत्रीय अनिवार्य पाठ्यक्रम कोर्स वर्क द्वितीय प्रति परिचय पत्र शुल्क — रू0 100.00
12. विद्यावारिधि (पीएच.डी.) एक सत्रीय अनिवार्य पाठ्यक्रम (कोर्स वर्क) उत्तीर्ण करने के पश्चात् शोध समिति (R.D.C.) की बैठक आहूत की जायेगी जिसमें साक्षात्कार सम्पन्न होने के उपरान्त पंजीकरण किया जायेगा। शुल्कों का विवरण निम्नवत होगा :–

विद्यावारिधि (पीएच.डी.) पंजीकरण शुल्क — रू0 5000.00
त्रैमासिक शुल्क — रू0 1050.00

1. मासिक शुल्क — रू0 250.00
2. पुस्तकालय शुल्क — रू0 100.00

कुल योग — **रू0 350.00**

पुस्तकालय सुरक्षा धन (Refundable) — रू0 1000.00
शोध प्रबन्ध जमा कराने का शुल्क — रू0 5000.00
संशोधन के बाद प्रबन्ध जमा कराने का शुल्क — रू0 5000.00
उपाधि शुल्क — रू0 500.00
अस्थाई प्रमाण पत्र (प्रोविजनल) शुल्क — रू0 100.00

अंशकालिक विद्यावारिधि (पीएच.डी.) के लिये शुल्क

S.No	Head	Fee	
		I Inst.#	II Inst.#
1	Ph.D. Course Work Registration Fee	1000	-
2	Ph.D. Course Work Fee	25000	-
3	Ph.D. Synopsis Submission Fee	-	10000
4	Ph.D. Admission Fee after RDC	-	10000
5	Library Fee	1000	-
6	Library Caution Money (Refundable)	5000	-
7	Internet Fee/Journal Subscription Fee	1000	2000
8	Pre Ph.D. Examination Fee	1000	-
	Total (Rs)	34000	22000

Note : Ist Instaiment: At the time of Registration in Ph.D. course work II Instatment : At the time of Submission of Ph.D. Synopsis.

B. II Year & Onwards (Yearly Fee)

S.No	Head	Fee
		Maintenance Department
1	Comulative Fee (Including Lab/ Computational/ Internet/ Journal Subscription, etc.)	10000
2	Library Fee	2000
	Total (Rs)	12000

C. Quarterly Progress Report Fee (for all): Rs. 3000/- (Rs 1000/- per month), Late Fee Rs. 200/- per month.

D. One Time Fee (for all):

1	Thesis Evaluation Fee (at the time of thesis submission)	Rs. 15000/-
2	Thesis Resubmission & Evaluation Fee	Rs. 15000/-

रैगिंग–एक दण्डनीय अपराध

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) के रैगिंग निषेध अधिनियम 2009 के नियम–7 के अनुसार रैगिंग एक आपराधिक गतिविधि है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) रैगिंग अधिनियम 2009 के नियम–66.3 दिनांक 17 जून, 2009 के अनुसार विश्वविद्यालय परिसर रैगिंग निषेध समिति का गठन हुआ है।

विश्वविद्यालय प्रशासन के संज्ञान में यदि रैगिंग सम्बन्धी कोई भी घटना सामने आती है, तो सम्बन्धित से इस सन्दर्भ में स्पष्टीकरण मांगा जायेगा, संतोषजनक उत्तर न पाये जाने की स्थिति में सम्बन्धित को विश्वविद्यालय से निष्कासित भी किया जा सकता है।

उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार

बहादराबाद, हरिद्वार – दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग
पो0 – बहादराबाद (हरिद्वार)– 249402
Website : www.usvv.ac.in

शोधप्रवेशपरीक्षावेदनपत्रम् (R.E.T.)

Application Form (RET)

सत्रम् 2022–23

क्र.सं.....

नूतनं छायाचित्रम्
संश्लेषणीयम्
(Applicant's Photo)

शुल्कम् Fee

Demand Draft No.)	
Date	
Bank	
Amount	

विभागः Department.....

विषयः Subject.....

1. उत्तीर्ण–परीक्षा (येनाधारेण प्रवेशो वांछितः) .....
   Passed Examination (PG class and Subject) .....

2. छात्र/छात्रा नाम (हाईस्कूल प्रमाण–पत्रानुसारम्) Student's name (As per high school certificate)
   (क) हिन्द्याम् (in Hindi) .....
   (ख) आङ्गलभाषायाम् (स्थूलाक्षरेषु) (in English capital letters) .....

3. जन्मतिथिः (हाईस्कूल–पत्रानुसारम्) (Date of birth as per high school certificate)
   अंकेषु (in digits) ..... शब्देषु (in words) .....

4. पितृनाम (Father's Name)
   हिन्द्याम् (in Hindi) .....
   आङ्गलभाषायाम् (स्थूलाक्षरेषु) (in English capital letters) .....

5. मातृनाम (Mother's Name)
   हिन्द्याम् (in Hindi) .....
   आङ्गलभाषायाम् (स्थूलाक्षरेषु) (in English capital letters) .....

6. स्थायीपत्राचारसंकेतः (Permanent Address) .....
   .....
   .....

7. वर्तमानपत्राचारसंकेतः (Present Address) .....
.....
.....

8. फोन नं0/मो0नं0. (Phone/mobile no.) .....

9. स्थानीयसंरक्षकस्य नाम, तेन सह सम्बन्धः एवं पत्राचारस्य संकेतः (Name, relation and address of local guardian) .....
.....
.....
.....फोन नं0/मो0नं0. (Phone/mobile no.) .....

10. जन्मस्थानम् (Place of birth).....जनपदः (District) .....
राज्यम् (State) .....राष्ट्रीयता (Nationality) .....

11. अनुसूचितजातिः/जनजातिः/पिछड़ी जातिः/विकलांगःआर्थिक रूपेणाक्षमः (EWS) उ.म. (प्रमाणपत्रं संलग्नं करणीयम्) (Reservation details, if any. Attach the relevant certificate) .....

12. संस्थायाः नाम व पत्राचारसंकेतः (यतः पूर्वशिक्षा सम्प्राप्ता) (Name and address of previous institution fron where last examination was passed) .....
.....
.....

13.

उत्तीर्ण–परीक्षा	बोर्ड/विश्वविद्यालयः	वर्षम्	श्रेणी	प्रतिशतम्	विषयः
हाईस्कूल/समकक्ष परीक्षा					
इण्टरमीडिएट(10+2) अथवा समकक्षपरीक्षा					
शास्त्री (स्नातकः)					
आचार्य(स्नातकोत्तरः)					
विशिष्टाचार्यः(एम.फिल)					
नेट/जे.आर.एफ./सेट					

संलग्नप्रमाणपत्राणां अनुक्रमणिका (Documents to be attached)
(समस्तानामङ्कपत्राणां/प्रमाणपत्राणां स्वप्रमाणित–प्रतिलिपयः)
(Please attach self-attasted copies of all relevant documents)

प्रमाणपत्राणि : पूर्वमध्यमा/हाईस्कूल अंकपत्रं तथा प्रमाणपत्रम्, उत्तरमध्यमा/इण्टरमीडिएट/(10+2) अथवा समकक्षपरीक्षायाः अंकपत्रम्, शास्त्री (स्नातक)/आचार्यस्नातकोत्तरपरीक्षायाः अंकपत्रम्, अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ी जाति/विकलांगप्रमाणपत्रम्/EWS (उत्तराखण्डराज्यस्य), अन्यानि प्रमाणपत्राणि, अनापत्तिप्रमाणपत्रम्/ (स्थायीसेवारताभ्यर्थिनां कृते)
संलग्नप्रमाणपत्राणां सम्पूर्णसंख्या

हस्ताक्षरम्
अभ्यर्थी.....